इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई 2016—आषाढ़ 17, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जून 2016

क्र. ई.-1-105-2016-5-एक.—श्री राजीव रंजन, भा.प्र.से. (1989) वि.क.अ.-सह-आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की सेवाएं भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपी जाती हैं.

क्र. ई.-1-105-2016-5-एक-(ए).—श्री एस. सुहेल अली, भा.प्र.से. (1999), वि.क.अ.-सह-सचिव, राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्यप्रदेश ग्वालियर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-1-128-2016-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अप्रैल 2016 द्वारा श्री मोहित बुंदस, भाप्रसे (2011), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), सीधी की पदस्थापना अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल के पद पर की गई है, और उक्त पद की समकक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के संवर्गीय पद के समकक्ष की गई है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

2. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल के असंवर्गीय पद की समकक्षता ''मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत'' के स्थान पर ''उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन'' पढ़ा जाये.

भोपाल, दिनांक 14 जून 2016

क्र. ई-5-937-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. बी. प्रजापति, आयएएस, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को दिनांक 20 से 25 जून 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 एवं 26 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. प्रजापति को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आर. बी. प्रजापति को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. बी. प्रजापति अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2016

क्र. ई-5-532-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस., मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग को दिनांक 16 से 30 जून 2016 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. एस. बंसल, भाप्रसे विकअ-सह-संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (केवल निर्वाचन कार्य) विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन)विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन)विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एस. बंसल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2016

क्र. ई-5-606-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पंकज अग्रवाल, आयएएस, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, जल निगम को दिनांक 7 से 17 जून 2016 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज अग्रवाल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, जल निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री पंकज अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-670-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अलका उपाध्याय, आयएएस., प्रमुख सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 6 से 10 जून 2016 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून 2016 एवं 11, 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-689-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उमाकांत उमराव, आयएएस., आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक

25 फरवरी 2016 द्वारा दिनांक 30 अप्रैल से 18 मई 2016 तक, उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 3 से 20 मई 2016 तक, अठारह दिन का पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 25 फरवरी 2016 अनुसार यथावत्.

क्र. ई-5-778-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे आयुक्त-सह-पंजीयक सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ को दिनांक 15 से 23 जून 2016 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, आयुक्त-सह-पंजीयक सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-832-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अश्विनी कुमार राय, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 23 मई से 17 जून 2016 तक, छब्बीस दिन का एक्स इंडिया अर्ध-वैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 मई एवं 18, 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अश्विनी कुमार राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अश्विनी कुमार राय को नियमानुसार अवकाश वेतन एवं भत्ता की पात्रता होगी.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अश्विनी कुमार राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-870-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अविनाश लवानिया, आयएएस., आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन को दिनांक 21 से 27 जून 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता कि वे अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व सिंहस्थ की लेखाओं को फायनल करेंगे.

(2) श्री अविनाश लवानिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री आशीष सिंह, भाप्रसे अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश लवानिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अविनाश लवानिया द्वारा आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष सिंह, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अविनाश लवानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश लवानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-872-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस., कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को दिनांक 14 से 24 जून 2016 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती प्रियंका दास की अवकाश अवधि में श्री अजय कटेसरिया, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर (विकास) जिला टीकमगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला टीकमगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती प्रियंका दास द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय कटेसरिया उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-887-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिजीत अग्रवाल, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद को दिनांक 13 से 25 जून 2016 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 एवं 26 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अभिजीत अग्रवाल की अवकाश अवधि में श्री वीरेन्द्र रावत, उपायुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभिजीत अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अभिजीत अग्रवाल द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री वीरेन्द्र रावत उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अभिजीत अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिजीत अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-892-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष सिंह, आयएएस., अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन को दिनांक 13 से 17 जून 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 18, 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-902-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रजनीश श्रीवास्तव, आयएएस., कलेक्टर, जिला नीमच को दिनांक 23 अप्रैल से 3 मई 2016 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रजनीश श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला नीमच के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रजनीश श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-959-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री फ्रेंक नोबल ए., आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, सीहोरा जिला जबलपुर को दिनांक 13 से 27 जून 2016 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री फ्रेंक नोबल ए. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, सीहोरा जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री फ्रेंक नोबल ए. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फ्रेंक नोबल ए. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-988-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उमा माहेश्वरी आर., आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 13 से 27 जून 2016 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2016

क्र. ई-5-672-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सचिन सिन्हा, आयएएस., संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को दिनांक 20 जून से 2 जुलाई 2016 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 जून एवं 3 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री सचिन सिन्हा की अवकाश अवधि में खेल एवं युवक कल्याण विभाग का प्रभार श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे सचिव, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज साधन निगम को अस्थायी रूप से, आगामी तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सचिन सिन्हा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा

प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सचिन सिन्हा द्वारा संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे खेल एवं युवक कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सचिन सिन्हा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सचिन सिन्हा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 21 जून 2016

क्र. ई-5-671-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस., आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मई 2016 द्वारा दिनांक 26 मई से 25 जून 2016 तक, इकतीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया गया था तथा समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मई 2016 द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, उन्हें दिनांक 18 मई से 17 जून 2016 तक, इकतीस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया गया है, के अनुक्रम में अब उन्हें दिनांक 18 जून से 8 जुलाई 2016 तक, इक्कीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मई 2016 अनुसार यथावत्.

क्र. ई-5-817-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राहुल जैन, आयएएस., कलेक्टर जिला रीवा को समसंख्यक आदेश दिनांक 24 मई 2016 द्वारा दिनांक 13 से 17 जून 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त करते हुए, उन्हें, अब दिनांक 20 से 23 जून 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री कर्मवीर शर्मा, आयुक्त, नगर निगम रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला रीवा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कर्मवीर शर्मा कलेक्टर, जिला रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्र. ई-5-907-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस., संचालक, तकनीकी शिक्षा तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा अपर सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 22 जून से 2 जुलाई 2016 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, तकनीकी शिक्षा तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा अपर सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2016

क्र. ई.13-17-2016-5-एक.—राज्य शासन निम्नलिखित भा.प्र.से. अधिकारियों को मिड केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आईएएस आफिसर्स (फेस-4 राउन्ड-11), दिनांक 27 जून 2016 से 22 जुलाई 2016 तक आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति के क्रम में प्रशिक्षण हेतु नामांकित अधिकारी की प्रशिक्षण अवधि में उनके पद का प्रभार उनके नाम के समक्ष दर्शाये अधिकारी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है:—

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद जिन्हें प्रशिक्षण में भाग लेना है	प्रभार जिन्हें सौंपा जाता है
(1)	(2)	(3)
1	श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे (1996), प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल.	श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1996), आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, भोपाल.

(1)	(2)	(3)
2	श्री मुकेश चंद गुप्ता, भाप्रसे (1998), प्रबंध संचालक, म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कं. लिमिटेड, जबलपुर.	श्री संजय शुक्ला, भाप्रसे (1994), प्रबंध संचालक, म. प्र. पॉवर मैनेजमेंट कं. लिमिटेड जबलपुर तथा पदेन सचिव, ऊर्जा विभाग.
3	श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे (2000), आयुक्त महिला सशक्तिकरण म. प्र. तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम.	श्रीमती पुष्पलता सिंह, भाप्रसे (1998), आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, म. प्र. तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन.
4	श्रीमती रेनु पंत, भाप्रसे (2000), आयुक्त (फील्ड) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर.	श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे (1992), प्रबंध संचालक, म. प्र. वित्त निगम, इन्दौर.

क्र. ई-5-576-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. राजेश राजौरा, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिनांक 27 जून 2016 से 2 जुलाई 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 जून एवं 3 जुलाई 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. राजेश राजौरा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पी. सी. मीना, भाप्रसे, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश राजौरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. राजेश राजौरा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. सी. मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. राजेश राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश राजौरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-768-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संदीप यादव, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मई 2016 द्वारा दिनांक 1 से 10 जून 2016 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 1 से 9 जून 2016 तक, नौ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मई 2016 अनुसार यथावत्.

भोपाल, दिनांक 24 जून 2016

क्र. ई-1-221-2016-5-एक.—श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, भाप्रसे (2004) कलेक्टर, कटनी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ॲन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जून 2016

फा. क्र. 3(ए)5-2016-इक्कीस-ब(एक)-2203.—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री दिलीप कुमार मिश्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर को उनके द्वारा दिनांक 4 मई 2016 को प्रस्तुत सूचना-पत्र के अनुक्रम में मध्यप्रदेश डिस्ट्रीक्ट एवं सेशन जजेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनेफिट) रूल्स, 1964 के नियम-2,3 सहपठित ऑल इंडिया सर्विसेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनेफिट) रूल्स, 1958 के नियम 16 (2-ए) के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 4 अगस्त 2016 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2016

फा. क्र. I-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-2364.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को (नवीन पदस्थापना) पीठासीन अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालयों के पद पर एतद्द्वारा उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :—

क्र.	नाम	पदस्थापना	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डॉ. मोहम्मद शमीम	प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, म. प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर, खंडपीठ इंदौर.	12-7-2018
2	श्री भारत सिंह जारा	सोलहवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इंदौर.	31-7-2018
3	श्री जयराम सिंह कटारिया.	विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट, जिला टीकमगढ़.	13-8-2018
4	श्रीमती कनकलता सोनकर.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.	25-8-2018
5	श्रीमती दुर्गा डाबर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना.	30-9-2018
6	श्री शिशिर कांत चौबे.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन.	30-9-2018

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. I-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-2365.—राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 4 जून 2016 को मान्य करते हुए श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा मध्यप्रदेश का त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत करता है.

फा. क्र. 17 (ई)-51-2005-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण की सेवाएं, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, म. प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 5-4-2013-उनतीस-2, दिनांक 21 जून 2016 द्वारा उनकी नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के फलस्वरूप अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, म. प्र. शासन को सौंपता है:—

क्र.	नाम व पद	प्रतिनियुक्ति की पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्री अनिल कुमार भाटिया, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, अशोकनगर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, शिवपुरी.
2	श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश, कटनी.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, विदिशा.
3	श्री विनोद कुमार द्विवेदी, सत्रहवें अपर जिला न्यायाधीश, इन्दौर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मंदसौर.

फा. क्र. 17 (ई)-81-2005-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीमती अनुराधा शुक्ला, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की सेवाएं लोकायुक्त संगठन, भोपाल में विधिक सलाहकार के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु एतद्द्वारा मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2016

फा. क्र. 1(बी)06-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके नाम के समाने दर्शाये अनुसार पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये

नीमच सत्र खण्ड के नीमच राजस्व जिले के लिए एतद्द्वारा, नियुक्त करता है:—

क्र.	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री विनोद शर्मा (जन्मतिथि 17-9-60)	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला नीमच.
2	श्री गोविन्द सैनी (जन्मतिथि 22-6-65)	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला नीमच.
3	श्रीमती सुनीता चौधरी (जन्मतिथि 18-5-1972)	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला नीमच.
4	श्री श्याम समदानी (जन्मतिथि 26-6-1960)	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील मनासा, जिला नीमच.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2016

फा. क्र. 2298-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, लोकायुक्त संगठन, कार्यालय के पत्र क्रमांक 3996-विपुस्था/-स्था-2016, दिनांक 13 जून 2016 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु श्री आनंद सोनी, अधिवक्ता, अधिवक्ता इन्दौर को श्री अरविन्द गोखले, अधिवक्ता के कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 19 जून 2016 होने पर मासिक पारिश्रमिक राशि 40,000/- (चालीस हजार) पर धारा 24 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पदभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पा सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. एफ-11-11-2016-बी-ग्यारह.—उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्य योजना की कंडिका क्रमांक 14.4 के अन्तर्गत विभागीय आदेश क्रमांक 20-1-2010-बी-ग्यारह, दिनांक 4 जनवरी 2011 द्वारा जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिका क्रमांक 4(2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है:—

क्रमांक	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नवीन औद्योगिक क्षेत्र बगरौदा.	भोपाल	128.02

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2016

क्र. एफ-5-25-97-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का. सं. 68) की धारा 7 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन निम्नानुसार करता है:—

क्र.	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय.	पदेन सदस्य

(1)	(2)	(3)
3	आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश भोपाल	पदेन सदस्य
4	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., भोपाल	पदेन सदस्य
5	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन भोपाल	पदेन सदस्य
6	आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, भोपाल	पदेन सदस्य
7	रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल	पदेन सदस्य
8	महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	पदेन सदस्य
9	नियंत्रक, नाप-तौल मध्यप्रदेश भोपाल	पदेन सदस्य
10	राज्य समन्वयक, तेल उद्योग, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भोपाल	पदेन सदस्य
11	भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा नामांकित	सदस्य
12	भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नामांकित	सदस्य
13	भारत सरकार के सूचना प्रकाशन विभाग द्वारा नामांकित	सदस्य
14	भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा नामांकित	सदस्य
15	भारत सरकार के खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा नामांकित	सदस्य
16	श्री संजय पाठक, विधायक, विजयराघवगढ़, जिला-कटनी	सदस्य
17	श्रीमती नीता पटेरिया पत्नी डॉ. एस. पी. पटेरिया, बाहुबली चौक के पास सिवनी, मध्यप्रदेश	सदस्य
18	श्रीमती संपतिया उईके पति स्वर्गीय श्री संजय उईके, सी-2 सिविल लाईन नेहरू स्मारक के पास मण्डला मध्यप्रदेश.	सदस्य
19	श्री सिद्धार्थ मलैया पिता श्री संजय मलैया, विजय आयल मिल, दमोह	सदस्य
20	श्री वीर विक्रम सिंह पिता श्री राजवर्धन सिंह, भानु निवास भोपाल रोड नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र.	सदस्य
21	श्री कांति यादव पिता स्वर्गीय श्री किशोरी लाल यादव, मु.पो. मलाजपुर तहसील चिंचोली जिला बैतूल.	सदस्य
22	श्री भरत लाल तलवारे पिता स्वर्गीय श्री सनुकलाल तलवारे, ग्राम पोस्ट रेलवाही तहसील बिरसा जिला बालाघाट.	सदस्य
23	श्रीमती ज्योति बरकड़े पति श्री नरोत्तम बरकड़े ग्राम गुदमा, तहसील बैहर, बालाघाट	सदस्य
24	श्री भगवानदास गुप्ता पिता श्री रामचन्द्र गुप्ता, ग्राम पीपरी जिला देवास	सदस्य
25	श्री ब्रजमोहन (छोटू) शास्त्री पिता श्री हरिनारायण शास्त्री, 166 एल.आई.जी. कालोनी धार	सदस्य
26	श्री नारायण भिंडे पिता श्री किशन सिंह भिंडे, ग्राम डुकनी, वि. ख. निरसपुर, तहसील कुक्षी जिला धार म. प्र.	सदस्य
27	श्री विप्लव जैन पिता श्री कमल जैन, 51, न्यू रोड़ रतलाम जिला रतलाम	सदस्य
28	श्री अजय वर्मा पिता श्री भेरूलाल जी वर्मा, 18, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग वार्ड क्रमांक 13, भीकनगांव जिला खरगोन.	सदस्य
29	श्री राजेन्द्र राठौर पिता श्री रायसिंह राठौर, 10 विवेकानंद कालोनी सनावद रोड खरगौन	सदस्य
30	श्रीमती योजनागंधा सिंह पति श्री महेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम उमरधा थाना बनखेड़ी जिला होशंगाबाद.	सदस्य

(1)	(2)	(3)
31	श्री वैद्य प्रकाश विश्नोई पिता स्वर्गीय श्री रामधार विश्नोई मिडिल स्कूल के सामने इन्दौर रोड हरदा म. प्र.	सदस्य
32	श्री पदम पटेल पिता श्री हरगोविन्द पटेल, मु. पो. सिराली तहसील सिराली जिला हरदा	सदस्य
33	श्री हीरेन्द्र सिंह बघेल पिता श्री रामनरेश सिंह बघेल निवासी बगहा वार्ड क्रमांक-3 पावर हाउस के पास सतना.	सदस्य
34	श्री राकेश सोनी पिता श्री बंसत राव सोनी, 49 सोनी का बाडा रामगंज सराफा बाजार खण्डवा	सदस्य
35	श्री कौशल मेहरा पिता स्वर्गीय श्री आनन्दी लाल मेहरा, मकान नं. 38, 39 जै. एल. किशोर नगर खण्डवा.	सदस्य
36	श्री संतोष सिटोके पिता श्री कृष्णा सिटोके, ग्राम पोस्ट आशापुर तहसील खालवा जिला खण्डवा	सदस्य
37	श्री जयंत सिंह पिता श्री नागेन्द्र सिंह धूपछांव, राजनिवास के पीछे, रीवा	सदस्य
38	श्री राम तिवारी पिता श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी, एस.एन.-06 चार बंगला रोड प्रोफेसर कालोनी, भोपाल.	सदस्य
39	कु. नीरज सिंह पिता श्री ठाकुर अनुप सिंह बी-2, 103 पारस हर्मिटेड, होशंगाबाद, रोड भोपाल	सदस्य
40	श्री मनींष माथुर पिता स्वगीय आर. एस. माथुर, एच 64 बाघीरा अपार्टमेंन्ट ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल.	सदस्य
41	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह तोमर पिता श्री नरेन्द्र सिंह तोमर आय नगर, मुरार जिला ग्वालियर, म. प्र.	सदस्य
42	श्री शुभम मिश्रा पिता श्री अजय मिश्रा 261 विजयानगर एक्सटेंशन नियर चेतनपुरी ग्वालियर	सदस्य
43	श्री अभिषेक भार्गव पिता श्री गोपाल भार्गव, भगतसिंह गढ़ाकोटा सागर	सदस्य
44	श्री प्रदीप गुप्ता पिता श्री रामकिशोर गुप्ता, वार्ड क्रमांक-9, ब्लाक वाली गली सीता सेन्टर स्कूल के सामने (नावली वाले) करैरा जिला शिवपुरी म. प्र.	सदस्य
45	श्रीमती वैशाली महाले पति श्री वासुदेव महाले, जलाराम वार्ड, पांर्दुना तहसील पांर्दुना, जिला छिन्दवाड़ा.	सदस्य
46	श्रीमती सुशीला सिंह पति श्री रविनंदन सिंह 407, साउथ सिविल लाईन नवयुग कालेज के सामने जबलपुर.	सदस्य
47	श्रीमती रमा राघव पति श्री रघुदीप सिंह राघव ओल्ड परासिया इन्दौर	सदस्य
48	श्री आकाश विजयवर्गीय पिता श्री कैलाश विजयवर्गीय, 880/9 नंदानगर इन्दौर	सदस्य
49	श्री यादबिन्दर सिंह संधु पिता स्वर्गीय श्री नायब सिंह संधु, 404 रायल पेलेस 12/2 न्यू पलासिया, इन्दौर.	सदस्य

2. उक्त मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा आगामी आदेश जो भी पहले हो तक होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2016

क्र. 1476-1168-2016-पचास-2.—दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 8 (ख) (4) अन्तर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी (जिला विधिक सहायता अधिकारी) को अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के प्रभावी संपादन में, सलाह एवं सहायता देने के प्रयोजन हेतु 48 जिलों में दहेज सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, जिसकी सूची निम्नानुसार है:—

जबलपुर संभाग 1

जिला-छिन्दवाड़ा 1

क्र. (1)	प्रस्तावित नाम (2)	पद (3)	योग्यता (4)
1.	श्रीमती अनीता तिवारी	अध्यक्ष	अधिवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्रीमती नीता मालवी	सदस्य	अधिवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती कनकलता सिसौदिया	सदस्य	अधिवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्री गोविन्द सिंह राजपूत	सदस्य	अधिवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्री विनोद तिवारी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता

जिला-नरसिंहपुर 2

1.	श्रीमती संगीता शर्मा	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्री प्रवीण कश्यप	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती गुलाब गुप्ता	सदस्य	अधिवक्ता
4.	श्रीमती मिथलेश शर्मा	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्री गौरी शंकर खेमरिया	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता

जिला-बालाघाट 3

1.	श्रीमती फिरोजा खान	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता प्राचार्य एच.एम. राही मेमोरियल शाला.
2.	डॉ. अंजु सिंह ठाकुर	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	सुश्री मीना कुर्वे	सदस्य	अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्रीमती शीला सिंह	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्री अशोक सागर मिश्र	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता

जिला-मंडला 4

1.	श्रीमती निर्मला चौबे	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्रीमती प्रीति पटेल	सदस्य	समपर्ण महिला विकास केन्द्र
3.	श्रीमती पुष्पा ज्योतिषी	सदस्य	प्रवाहनी समिति
4.	श्रीमती शक्ति विश्वकर्मा	सदस्य	अधिवक्ता
5.	श्रीमती राजकुमारी मरावी	सदस्य	अधिवक्ता

(1)	(2)	(3)	(4)
जिला-सिवनी 5			
1.	श्री अखिलश यादव	अध्यक्ष	अधिवक्ता
2.	सुश्री सरला रकासे	सदस्य	अधिवक्ता
3.	श्री यशवंत सोनी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्री पूनाराम कुल्हाडे	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	सुश्री याचना सोनी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-कटनी 6			
1.	सुश्री राजेन्द्र कौर लांबा	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	सुश्री मीरा भागर्व	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती आशा विश्वकर्मा	सदस्य	अधिवक्ता
4.	श्रीमती प्रीति सेन	सदस्य	परिवार परामर्शदाता
5.	श्री एम. जे. ए. लूसियन	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-जबलपुर 7			
1.	श्रीमती सरोज तिवारी	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता
2.	सुश्री वर्षा वैद्य	सदस्य	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
3.	श्री राजेश जैन	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	सुश्री रोजर चौहान	सदस्य	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
5.	सुश्री नीतू पाण्डेय	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-डिण्डौरी 8			
1.	श्रीमती सीमा गोयल	अध्यक्ष	अधिवक्ता
2.	श्रीमती स्नेहलता ठाकुर	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्री मनीष नायक	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्रीमती शक्ति परस्ते	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्रीमती सरस्वती राव	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
	भोपाल संभाग 2		
जिला-भोपाल 9			
1.	श्री रवि गोयल	अध्यक्ष	अधिवक्ता
2.	श्री अशोक सोनी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्री ललित तांतेड	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्रीमती भारती अग्रवाल	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्रीमती मीना नहारिया	सदस्य	अधिवक्ता

(1)	(2)	(3)	(4)
जिला-रायसेन 10			
1.	श्रीमती रीता पारे	अध्यक्ष	अधिवक्ता
2.	सुश्री मोती राजपूत	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्री यू. पी. एन. सक्सेना	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्री पी. एन. साहू	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्री तारिक पाशा	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-राजगढ़ 11			
1.	श्री जितेन्द्र सिसोदिया	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	सुश्री प्रीति समाधिया	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती सीमा शर्मा	सदस्य	अधिवक्ता
4.	श्री नीलेश जोशी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्री मोहम्मद असलम खान	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता
जिला-सीहोर 12			
1.	श्री शरद जोशी	अध्यक्ष	अधिवक्ता
2.	सुश्री राजू अग्रवाल	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता
3.	श्रीमती ममता त्रिपाठी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	सुश्री नीता सिंह	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता (परिवार परामर्श केन्द्र)
5.	सुश्री राजेश्वरी मालवीय	सदस्य	अधिवक्ता
जिला-विदिशा 13			
1.	श्री मनीष श्रीवास्तव	अध्यक्ष	पैरालीगल, वॉलेंटियर विधिक सेवा प्राधिकरण
2.	सुश्री निशा सिंह	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता
3.	श्रीमती सीमा शर्मा	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्री अतुल वर्मा	सदस्य	अधिवक्ता
5.	श्री राम रघुवंशी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
	संभाग नर्मदापुरम् 3		
जिला-होशंगाबाद 14			
1.	श्रीमती उमा शिवहरे	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्रीमती शशिकला सोनी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	सुश्री पूजा अवस्थी	सदस्य	अधिवक्ता
4.	श्री अफरोज खान	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	सुश्री पूनम शर्मा	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता

(1)	(2)	(3)	(4)
जिला-हरदा 15			
1.	श्री वेदप्रकाश विश्नोई	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्री ललित मालवीय	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	सुश्री अवनी बंसल	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता
4.	श्रीमती रीना जोशी	सदस्य	शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत
5.	श्रीमती सुधा पारे	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-बैतूल 16			
1.	श्री विट्ठल राव इंगले	अध्यक्ष	रिटायर डिप्टी कलेक्टर
2.	श्रीमती मीरा एन्थोरी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्री कमलेश सिंह दांगी	सदस्य	वरिष्ठ अधिवक्ता
4.	श्रीमती नारायणी उपाध्याय	सदस्य	अधिवक्ता
5.	श्री नरेन्द्र चौरसिया	सदस्य	अधिवक्ता
	सागर संभाग 4		
जिला-सागर 17			
1.	श्री कपिल मलैया	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्री प्रकाश चौबे	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती प्रीति प्रजापति	सदस्य	अधिवक्ता
4.	श्रीमती सुलोचना सोनी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्री मुकेश साहू	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-टीकमगढ़ 18			
1.	श्री गोविन्द सिंह सिसोदिया	अध्यक्ष	अधिवक्ता
2.	श्री नरेन्द्र कुमार रावत	सदस्य	अधिवक्ता
3.	श्री भारत सिंह घोष	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्रीमती भारती झा	सदस्य	अभिभाषक एवं सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्रीमती उषा प्रजापति	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-पन्ना 19			
1.	श्री आशीष कुमार तिवारी	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती वन्दना जड़िया	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	सुश्री शुभा सोनी	सदस्य	अधिवक्ता
5.	श्री दुर्गेश शिवहरे	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता

(1)	(2)	(3)	(4)
जिला-छतरपुर 20			
1.	श्रीमती मीरा सिंह	अध्यक्ष	अधिवक्ता
2.	श्री हेमेन्द्र सिंह	सदस्य	अधिवक्ता
3.	महरून सिद्दीकी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्रीमती दीपा पांचाल	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्री राजेन्द्र सिंह चन्देल	सदस्य	अधिवक्ता
जिला-दमोह 21			
1.	श्रीमती संध्या खरे	अध्यक्ष	अधिवक्ता
2.	श्रीमती ऋतु अग्रवाल	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती कीर्ति असाटी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्री रामबाबू गुप्ता	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्री यवनेश राय	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
	ग्वालियर संभाग 5		
जिला-ग्वालियर 22			
1.	सुश्री आशा मिश्रा	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता
2.	सुश्री कल्पना चौहान	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता
3.	सुश्री गीता भदौरिया	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता
4.	सुश्री संध्या भिण्डिया	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	सुश्री रेखा त्रिपाठी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-दतिया 23			
1.	श्री प्रभात कुमार पाठक	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	सुश्री शिखा श्रीवास्तव	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता
3.	श्रीमती नीलम खरे	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्री रघुवीर सिंह कुशवाहा	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्री रामजी शरण राय	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-शिवपुरी 24			
1.	श्री आलोक एम. इंदौरिया	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्री विष्णु राठौर	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती मृदला राठी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	सुश्री किरण शर्मा	सदस्य	अधिवक्ता
5.	श्री राकेश शर्मा	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता

(1)	(2)	(3)	(4)
जिला-गुना 25			
1.	डॉ. ललित किशोर शर्मा	अध्यक्ष	एम.बी.बी.एस. एम.डी. (रेडियोलोजी) सामाजिक कार्यकर्ता.
2.	श्रीमती आशा किरण कौर	सदस्य	अभिभाषक
3.	श्री बृजेश शर्मा	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्रीमती सीमा यादव	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता
5.	श्रीमती करूणा शर्मा	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
	चंबल संभाग 6		
जिला-मुरैना 26			
1.	सुश्री आशा सिकरवार	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता
2.	सुश्री कल्पना शर्मा	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता
3.	श्री दिलीप शर्मा	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्री दिनेश कुलश्रेष्ठ	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्री विनोद मंगल	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-श्योपुर 27			
1.	श्रीमती रत्ना जादौन	अध्यक्ष	अधिवक्ता
2.	सुश्री सीमा सिंह	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्री कैलाश पाराशर	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्री जयसिंह	सदस्य	प्रबंधक चाईल्ड लाईन
5.	श्री प्रमोद तिवारी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
	उज्जैन संभाग 7		
जिला-उज्जैन 28			
1.	श्री हॉकम सिंह	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व जनपद उपाध्यक्ष
2.	श्री मदन सॉखला	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्री दशरथ सिंह पण्ड्या	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता
4.	श्रीमती योगेश्वरी राठौर	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	डॉ. आशा राठौर	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता
ग्वालियर संभाग 5जिला-मंदसौर 29			
1.	श्रीमती निर्मला गुप्ता	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्रीमती एकता बग्गा	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती सुषमा आर्य	सदस्य	पूर्व महिला आयोग सदस्य
4.	श्रीमती माधवी नीमा	सदस्य	अधिवक्ता
5.	श्रीमती मीनू मंसूरी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-रतलाम 30			
1.	श्रीमती सबा शाहकार खान	अध्यक्ष	अधिवक्ता
2.	डॉ. रचना भारतीय	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्री पी. आर. बरसोना	सदस्य	रिटायर डी. एस. पी.
4.	श्री रमेश केसरी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता

(1)	(2)	(3)	(4)
जिला-देवास 31			
1.	सुश्री शोभा पंडित	अध्यक्ष	अधिवक्ता
2.	श्री विजय कुमार दुबे	सदस्य	अधिवक्ता
3.	श्रीमती साधना बियाणी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्री जे. पी. विजयवर्गीय	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	सुश्री वीणा गोयल	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-शाजापुर 32			
1.	श्री गोवर्धन लाल सोनी	अध्यक्ष	अधिवक्ता
2.	श्रीमती लाडकुवंर ठाकुर	सदस्य	अधिवक्ता
3.	श्री राकेश सोनी	सदस्य	अधिवक्ता
4.	श्रीमती रेखा मीणा	सदस्य	नगरपालिका उपाध्यक्ष
5.	श्री रमेश पाटीदार	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-नीमच 33			
1.	श्री भूपेन्द्र गौड़	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्रीमती सुधा जैन	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती उषा गुप्ता	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्रीमती पार्वती मोदी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्रीमती चंचल गट्टानी	सदस्य	अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-आगर मालवा 34			
1.	सुश्री अन्जु चौबे	अध्यक्ष	अभिभाषक
2.	श्रीमती आसमा खान	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्री राजेन्द्र कुमार	सदस्य	अधिवक्ता
4.	श्रीराम यादव	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	सुश्री प्रीती शर्मा (खंडेलवाल)	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
		रीवा संभाग 8	
जिला-रीवा 35			
1.	श्री कुवंर बहादुर सिंह	अध्यक्ष	अधिवक्ता
2.	श्री रामगोपाल यादव	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्री रावेन्द्र सिंह सिकरवार	सदस्य	अधिवक्ता
4.	श्रीमती शशि तिवारी	सदस्य	अधिवक्ता
5.	श्रीमती निशा साकेत	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-सीधी 36			
1.	श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्री धीरेन्द्र सिंह चौहान	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती चन्द्रकृपा अवधिया	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता
4.	श्री हरि शंकर पाण्डेय	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता
5.	सुश्री भामती तिवारी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-सिंगरौली 37			
1.	श्री विनोद कुमार सिंह	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्रीमती लीला सिंह पटेल	सदस्य	अधिवक्ता
3.	श्री अरविन्द कुमार सिंह	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	सुश्री रीता सिंह	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्री सुरेशमणि तिवारी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता

(1)	(2)	(3)	(4)
जिला-सतना 38			
1.	श्रीमती विद्या पाण्डेय	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्रीमती राकेश तिवारी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती नीतू मिश्रा	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्री अजय कुमार चतुर्वेदी	सदस्य	अधिवक्ता
5.	श्रीमती प्रेम झा	सदस्य	अधिवक्ता
		शहडोल संभाग 9	
जिला-अनूपपुर 39			
1.	श्री श्यामलाल जायसवाल	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्री अनिल शर्मा	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती कुसुम सिंह	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्रीमती विजयलक्ष्मी सोनी	सदस्य	अधिवक्ता
5.	श्री अमोल सिंह	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-शहडोल 40			
1.	श्रीमती मंजुला तिवारी	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता
2.	श्री शिवेन्द्र सिंह	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	सुश्री शांती तिवारी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता, भूतपूर्व सदस्य दहेज प्रतिषेध सलाहकार बोर्ड.
4.	सुश्री रमा पद्म	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्रीमती अंजली सराफ	सदस्य	आशा कार्यकर्ता
जिला-उमरिया 41			
1.	श्री संतोष द्विवेदी	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्रीमती रंजना दीक्षित	सदस्य	अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती प्रीति पाण्डेय	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्री लवकुश त्रिपाठी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्री दिव्य प्रकाश गौतम	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
		इन्दौर संभाग 10	
जिला-इन्दौर 42			
1.	श्रीमती ज्योति तोमर	अध्यक्ष	अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्रीमती मेघमाला खानवलकर	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती अर्पिता सिकरवार	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्रीमती शैलजा मिश्रा	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्रीमती भारती कुशवाह	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-झाबुआ 43			
1.	श्री यशवंत भण्डारी	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्री संजय मेहता	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती शारदा सिक्का	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्रीमती अर्चना राठौर	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता
5.	सुश्री प्रतिभा सोनी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता

(1)	(2)	(3)	(4)
जिला-धार 44			
1.	श्री सुरेश चन्द्र जलोदिया	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	सुश्री नन्दा बुर्से	सदस्य	अभिभाषक
3.	श्रीमती कोमल विजयवर्गीय	सदस्य	अभिभाषक
4.	श्री प्रेम विजय पाटिल	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्री देवी लाल लश्करी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-बड़वानी 45			
1.	श्रीमती सुशीला वर्मा	अध्यक्ष	अधिवक्ता
2.	श्री मोहम्मद फारूक खान	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्री मनीष गुप्ता	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्री राजा हातिम शेख	सदस्य	अधिवक्ता
5.	सुश्री शालनी जायसवाल	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-खण्डवा 46			
1.	श्री मधुसूदन मंडलोई	अध्यक्ष	अधिवक्ता
2.	श्री आलोक जोशी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती मीना जायसवाल	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता
4.	श्रीमती प्रमिला चौरे	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्री अश्विनी भाटे	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-बुरहानपुर 47			
1.	श्री संदीप शर्मा	अध्यक्ष	पैरालीगल वालियंटर
2.	सुश्री शमीम आजाद	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता
3.	श्रीमती रजनी गट्टानी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्रीमती मेघा भिड़े	सदस्य	पैरालीगल वालियंटर
5.	श्रीमती तसनीम मर्चेन्ट	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-खरगौन 48			
1.	श्री कल्याण अग्रवाल	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्री राजकुमार अत्रे	सदस्य	अधिवक्ता
3.	श्री अब्दुल खलिक कुरैशी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्रीमती मनोरमा त्रिपाठी	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	सुश्री अर्चना यादव	सदस्य	अधिवक्ता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 2 जून 2016

क्र. / स्वा.-पी.एच.-2016.—होशंगाबाद जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस सांसर्गिक बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाव के रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त लागू किये जाए.

अत:, मैं, संकेत भोंड़वे, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश, हैजा, ज्वर, आंत्रशोध विनियम, 1979 के नियम-3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश देता हूं कि:—

1. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों में जनता के लिये खाद्य और पेय पदार्थ, निर्माण कार्य करने या उसके प्रयोग में लाने के लिए कायम रखी गयी स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :—

   (क) बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े-गले फलों, सब्जियों, मास-मछली, अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद् रहेगी.

   (ख) बासी मिठाईयों एवं नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियों, दुग्ध, दही, उबली हुई चाय, काफी, शरबत, मांस-मछली, अंडे, कुल्फी, आईस्क्रीम आदि पदार्थ, बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थों बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर अथवा कांच के बन्द शोकेस, बंद आलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर, इस प्रकार रखें जावेंगे ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्यकारक या अनुपयोगी न हो सके.

2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण-2 (1-क) में उल्लेखित वस्तुओं तथा पकाये गये भोजन को न ही लायेगा और न ही ले जायेगा.

3. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने के किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान, प्रवेश करने, निरीक्षण करने एवं उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करने तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई रीति से पाई गई अस्वस्थ कारक, दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं का अधिग्रहण करवाकर हटावें व नष्ट करें या उसे ऐसे रीति से निर्वतन करने के लिए जिसे वह मानव उपयोग में लाई जाने से रोकी जा सके.

जनहित में मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1962 के नियम 5(5) के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये गये खाद्य लायसेंस निलंबित और मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 के अंतर्गत प्रतिबंधित किये जायेंगे एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेंगी. धारा 16 के तहत् दण्ड में सजा एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है.

अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके कार्य के क्षेत्र में प्राधिकृत करता हूं :—

(1) समस्त कार्यपालिक दंडाधिकारी.

(2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, होशंगाबाद/ समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, होशंगाबाद.

(3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, होशंगाबाद/ पिपरिया/सिवनी-मालवा/इटारसी.

(4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, होशंगाबाद.

(5) नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.

(6) जिला आपूर्ति अधिकारी/सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी, अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नाला-नालियों, गटरों, पानी के गड्डों, पोखर, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा-करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी को हटाने व उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निर्वतन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छ: माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगा.

संकेत भोंड़वे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वाचन), जिला दतिया, मध्यप्रदेश

दतिया, दिनांक 2 जून 2016

क्र. -मंडी निर्वा.-2016-17.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मदन कुमार, कलेक्टर दतिया मंडी अधिनियम की धारा 11(1)घ के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी (लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधियों का नाम-निर्देशन) नियम, 2010 के अन्तर्गत दतिया जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिये एतद्द्वारा प्रतिनिधि नाम-निर्दिष्ट करता हूं :—

क्र. (1)	मंडी का नाम (2)	नाम-निर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3)	मण्डी अधिनियम की धारा (4)
1	दतिया	श्रीमती लक्ष्मी रामजी यादव, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड क्र. 4, बसई, जिला दतिया (म.प्र.).	अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1)(ञ)
2	—"—	श्री एस. पी. शर्मा, उपसंचालक, कृषि दतिया, (म.प्र.)	अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1)(च)
3	—"—	श्री चमनसिंह चौधरी, प्रबंधक, गोविन्द विपणन सह. संस्था मर्या. दतिया (म.प्र.)	अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1)(ङ)
4	—"—	श्री रणवीर सिंह, कौरव, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. दतिया, (म.प्र.)	अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1)(ज)

मदन कुमार, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी), जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 23 जून 2016

क्र. -मंडी निर्वा.-16-17-693.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (5) के प्रावधान अनुसार, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, 67-करही के निर्वाचन क्षेत्र क्र. 01(आशापुर) के उपनिर्वाचन के लिए कृषक सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

अ.क्र. (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1	श्री रामेश्वर जसुसिंह	कृषक सदस्य	ग्राम मोयदा, तह. महेश्वर, जिला खरगोन

अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

76, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2016

क्र. 301-001-2004.—मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ. 5-4-2004-उन्तीस-2, भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2004 के द्वारा वैष्ठित शक्तियों के अधीन स्वतंत्र जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त पूर्णकालिक/अंशकालिक जिला फोरमों के अध्यक्षों के रूप में, नियुक्त किये जाने संबंधी इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेशों में निम्नानुसार परिवर्तन करते हुए, निर्देशानुसार नीचे सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त दिनांक 4 जुलाई 2016 से उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिला फोरम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है:—

सारणी

क्र. (1)	मुख्य जिला फोरम (2)	सम्बद्ध जिला फोरम (3)
1	इन्दौर फोरम-2	देवास
2	मंदसौर	रतलाम, नीमच
3	विदिशा	रायसेन, सीहोर

उपरोक्त परिवर्तन के साथ दिनांक 4 जुलाई 2016 से मध्यप्रदेश के सभी जिला फोरम की स्थिति इस प्रकार होगी :—

क्र. (1)	मुख्य जिला फोरम (2)	सम्बद्ध जिला फोरम (3)
1	भोपाल	. .
2	इन्दौर	. .
3	इन्दौर फोरम-2	देवास
4	ग्वालियर	भिण्ड, मुरैना
5	जबलपुर	. .
6	रीवा	सीधी, शहडोल, अनूपपुर.
7	उज्जैन	. .
8	सागर	टीकमगढ़, दमोह
9	होशंगाबाद	बैतूल
10	गुना	राजगढ़, अशोकनगर, शाजापुर.
11	धार	बड़वानी, झाबुआ, मण्डलेश्वर.
12	सतना	पन्ना, छतरपुर
13	खण्डवा	बुरहानपुर, हरदा
14	शिवपुरी	दतिया, श्योपुर
15	कटनी	मण्डला, उमरिया, डिण्डौरी.
16	छिन्दवाड़ा	सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर.
17	मंदसौर	रतलाम, नीमच
18	विदिशा	रायसेन, सीहोर

अवधेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

क्र. 311-245-10.—मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 5-5-2014-उन्तीस-2, दिनांक 31 अगस्त 2015 द्वारा इन्दौर में अतिरिक्त जिला उपभोक्ता फोरम के गठन के सन्दर्भ में इन्दौर जिला मुख्यालय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, इन्दौर क्रमांक 2 का कार्यालय, दिनांक 1 जुलाई 2016 से प्रारम्भ हो रहा है जिसका पता निम्नानुसार है :—

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम क्रमांक 2,
ब्लॉक डी, प्रथम तल, नवलखा काम्पलेक्स, लोहा मण्डी रोड,
पेट्रोल पम्प के पास, अग्रसेन प्रतिमा चौराहा, इन्दौर म. प्र.

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग के आदेशानुसार,
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 29 जून 2016

क्र. एफ-1-5-2012-रा.स.-यू.ए.-1-744.—अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) की धारा 29 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक दिए गए प्रावधान के तहत् आदेश क्रमांक एफ-1-5-2012-रा.स.-यू.ए.-1-956, दिनांक 26 जून 12 के द्वारा प्रो. मोहनलाल छीपा, जयपुर को उक्त विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया था. उक्त पद पर इनका कार्यकाल दिनांक 29 जून 2016 को समाप्त हो रहा है.

2. विश्वविद्यालय की साधारण परिषद् ने बैठक दिनांक 20 जून 2016 में अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की धारा 29 की उपधारा (9) परन्तुक के प्रावधान के तहत् प्रो. मोहनलाल छीपा के कुलपति पद के कार्यकाल का दिनांक 30 जून 2016 से एक वर्ष के लिए नवीकरण करने का संकल्प पारित किया है.

3. अतः, साधारण परिषद् के उक्त संकल्प के परिप्रेक्ष्य में प्रो. मोहनलाल छीपा दिनांक 30 जून 2016 से आगामी 1 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो तक कुलपति पद पर कार्यरत रहेंगे.

4. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (8) के अनुसार शासित होंगी.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2016

क्रमांक एफ–25–41/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगें। यह वनखण्ड से N 24^0 03' 59.0" से N 24^0 04' 5.5" उत्तर अक्षांश तथा E 78^0 44' 56.0" से E 78^0 45' 5.5" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – सागर

तहसील – बण्डा

वन मंडल – उत्तर सागर (सा.)

वन परिक्षेत्र – बांदरी

अनु. क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	सलैया खुर्द	सलैया खुर्द	बड़ा झाड़	3/2	1.275	उत्तर :– आर.एफ. 207 का मुनारा क्रमांक 232 से 234 तक की वन सीमा। पूर्व :– आर.एफ. 207 का मुनारा क्रमांक 234 से नया मुनारा क्रमांक 1 तक की वनसीमा. दक्षिण :– मुनारा क्रमांक 1 से 2 पी.एफ. 194 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम :– पी..एफ. 194 की वन सीमा मुनारा क्रमांक 2 से कक्ष. क्रमांक आर.एफ. 207 का मुनारा क्रमांक 232 तक की वनसीमा।
			Total:-		**1.275**	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8बी/09/22/92–एफ.सी.डब्लू./1078 दिनांक 20.06. 1992 एवं म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक/एफ–5/28/92/10/3 दिनांक 17.06.1992 में अधिरोपित शर्त के अनुसार म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम सागर की स्वीकृत परियोजना धसान नदी पर पुल निर्माण में प्रभावित 0.951 हेक्टेयर वनभूमि की एवज् में प्राप्त कुल 1.275 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.275 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 482/रा.लि./92 दिनांक 13 जनवरी 1992 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 482/रा.लि./92 दिनांक 13 जनवरी 1992 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :– उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :– उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकारी निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2016

एफ–25–41–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–41–2016–दस–3, दिनांक 28 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 28th June 2016

No. F-25-41/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act., 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24^0 03' 59.0" to N 24^0 04' 5.5" North Latitude and E 78^0 44' 56.0" to E 78^0 45' 5.5" East Longitude.

SCHEDULE

District - Sagar **Tahsil - Banda**

Forest Division – North Sagar (T) **Forest Range – Bandri**

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				*Forest Block Boundaries*
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Salaiya Khurd	Salaiya Khurd	Bada Jhar	3/2	1.275	**North :-** Forest Boundary Line of Compartment No. RF 207 Pillar No. 232 to 234. **East :-** Forest Boundary Line of Compartment No. RF 207 Pillar No. 234 to New Pillar No. 01. **South :-** New Pillar No. 1 to Artifical Boundary Line of Compartment No. PF 194 New Pillar No. 2. **West :-** Forest Boundary Line of Compartment No. PF 194 New Pillar No. 2 to Forest Boundary Line of Compartment No. RF 207 Pillar No. 232.
			Total:-		**1.275**	

Reason for Publication of Notification:-

1) In accorcance with the condition laid down in the Ministry of Emnvironment and Forest Govt. of India's order No. 8B/09/22/92-FCW/1078 Dated 20-06-1992 and MP Government Forest Department Order No. F-5/28/92/10/3 Dated 17-06-1992 and in lieu of 0.951 hactare of affected forest land order the sanctioned project of Constructed of Dhasan Bridge MP State Setu Nigam Sagar of the above mentioned Non Forest Land of 1.275 hectare transfered of muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No 482/Rev.Cleark/92 Dated 13-01-1992 of Revunue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No 482/Rev.Cleark./92 Dated 13-01-1992 of Revenue Collector are as under.

(A) Rights of Individuals :- There are not rights of individuals

(B) Rights of Communities :- There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2016

क्रमांक एफ–25–51/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहॉ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगें। यह वनखण्ड N-26° 02' 50" से N-26° 02' 53" उत्तर अक्षांश तथा E-77° 47' 37" से E-77°.47' 42" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – ग्वालियर
वनमण्डल – ग्वालियर
तहसील – घाटीगांव
वन परिक्षेत्र – घाटीगांव उत्तर

अनु. क्रं.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमायें
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
1	2	3	4	5	6	7
1	अमरगढ़ (अ)	अमरगढ़	शासकीय राजस्व भूमि	127	0.810	उत्तरः– आरक्षित वनखण्ड पिपरझील के कक्ष क्रमांक 206 की दक्षिणी वन सीमा एवं प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 1 से 2 तक की वन सीमा। पूर्वः– प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 2 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिणः– प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 3 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिमः–प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 4 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
	योग				0.810	

(अ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1– सिद्ध स्थल आश्रम मददा खो (सर्वे क्रं0 127 रकवा 0.810 हे0) :–

1– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय के आदेश क्रमांक –X– दिनांक –X– में अधिरोपित शर्त के अनुसार **परमहंस आश्रम मददा खो ग्वालियर** की परियोजना **सिद्ध स्थल आश्रम मददा खो** में प्रभावित **0.810** हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल **0.810** हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि **0.810** हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से म0प्र0 शासन वन विभाग के पक्ष में **कलेक्टर जिला ग्वालियर का आदेश क्रमांक 195/2000–01/अ–59** दिनांक **15–01–2002** हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2– **अन्य कारणो का विवरण** – निरंक

(ब) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू–अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

(1) व्यक्तिगत अधिकार– उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है।

(2) सामुदायिक अधिकार – उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2016

एफ–25–51–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–51–2016–दस–3, दिनांक 28 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 28th June 2016

No F-25-51/2016/10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-26° 02' 50" to N-26° 02' 53" North Latitude and E-77° 47' 37" to E-77°.47' 42" East Longitude.

SCHEDULE

District - Gwalior Tehsil – Ghatigaon

Forest Division - Gwalior Forest Range – Ghatigaon North

S. No	Name of Proposed Block	Details fo Land Incluted				
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in hact.	Forest Block Boundaries
1	2	3	4	5	6	7
1	Amargarh (A)	Amargarh	Govt. revenue land	127	0.810	**North–** RF Block Piperjheel compt. no. 206 southen boundary forest line and proposed block pillar Number 1 to 2 **East -** Artificial Forest boundary from pillar Number 2 to 3 **South-** Artificial Forest boundary from pillar Number 3 to 4 **West-** Artificial Forest boundary from pillar Number 4 to 1
Grand Total					**0.810**	

(A) Reason for publication of Notification :-

1-Sidha Sthal Madda kho construction
(survey No. 127 min area 0.810 Ha.)

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. –X-- **dated** **--X--** and in lieu of **0.810** hactare of affected forest land under the sanctioned project of **Sidha sthal Madda Kho** of **Parmhans Ashram Madda Kho Gwalior,** the above mentioned Non Forest Land of **0.810** hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. **Collector district gwalior order No. 195/2000-01/A-59 date 15-01-2002** for the purpose of compensatory afforestation.

Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist. Gwalior are as under. (enclosed)

(1) **Rights of individuals :-** There are no individual rights on the said land.

(2) **Rights of Communities** :- There are no Communities rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2016

क्रमांक एफ–25–54/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहॉ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगें। यह वनखण्ड N-25° 56' 45.46" से N-25° 56' 43" उत्तर अक्षांश तथा E-77° 53' 59.8" से E-77° 54' 03.7" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – ग्वालियर तहसील – घाटीगांव

वनमण्डल – ग्वालियर वन परिक्षेत्र – घाटीगांव उत्तर

अनु. क्रं.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमायें
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
1	2	3	4	5	6	7
1	आरोन (ब)	आरोन	भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि	2035/1 मिन	1.045	**उत्तरः–** प्रस्तावित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 1 से संरक्षित वनखण्ड पाटई के कक्ष क्रमांक पी–306 की पश्चिमी सीमा के मुनारा क्रमांक 3/2 तक वन सीमा। **पूर्वः–** संरक्षित वनखण्ड पाटई के कक्ष क्रमांक पी–306 की पश्चिमी सीमा के मुनारा क्रमांक 3/2 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 तक की वन सीमा। **दक्षिणः–** प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा। **पश्चिमः–**प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
	योग				1.045	

(क) **अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–**
एसोटेक सी0पी0 इन्फास्ट्रेक्चर प्रा0लि0 ग्वालियर
(सर्वे क्रं0 2035/1 मिन रकवा 0.960 हे0) :–

1– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक **6–एम.पी.बी.107/2008–बी0एच0ओ0/2927** दिनांक **03–12–2008** में अधिरोपित शर्त के अनुसार **एसोटेक सी0पी0 इन्फास्ट्रेक्चर प्रा0लि0 ग्वालियर** की स्वीकृत परियोजना **कालोनी पंहुच मार्ग निर्माण** में प्रभावित 0.960 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल **1.045** हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि **1.045** हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से म0प्र0 शासन वन विभाग के पक्ष में **रजिस्ट्री द्वारा** दिनांक **12–09–2008** से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2– **अन्य कारणो का विवरण** – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू–अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

(1) व्यक्तिगत अधिकार –उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है।

(2) सामुदायिक अधिकार –उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2016

एफ–25–54–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–54–2016–दस–3, दिनांक 28 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 28th June 2016

No F-25-54/2016/10-3 ::in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-25° 56' 45.46" to N-25° 56' 43" North Latitude and E-77° 53' 59.8" to E-77°.54' 03.7" East Longitude.

SCHEDULE

District - Gwalior Tehsil – Ghatigaon

Forest Division - Gwalior Forest Range –Ghatigaon North

S. No.	Name of Proposed Block	Detail fo Land Incluted				
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in hact.	Forest Block Boundaries
1	2	3	4	5	6	7
1	Aron (B)	Aron	Privat self land	2035/1 min	1.045	**North**– Artificial Forest boundary pillar Number 1 to PF Block No. 306 Patai Western line pillar no. 3/2 forest boundary line. **East** - PF Block Patai Western line pillar no. 3/2 to pillar no. 3 forest boundary line. **South** –Proposed Block pillar no. 3 to 4 Artificial line. **West** - Artificial line from pillar Number 4 to 1
Grand Total					**1.045**	

(A) Reason for publication of Notification :-

Asotec C.P. Infrastracture Pvt. lmt. Gwalior
(surevey No. 2035/1 min area 0.960 Ha.)

1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 6-MPB107/2008-BHO/2927 **dated 03-12-2008** and in lieu of **0.960** hactare of affected forest land under the sanctioned project of **Colony Aproch Road** of **Asotec C.P. Infrastracture Pvt. lmt. Gwalior,** the above mentioned Non Forest Land of **1.045** hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. **Ragistry date 12-09-2008** for the purpose of compensatory afforestation.

2- Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist. Gwalior are as under. (enclosed)

(1) **Rights of individuals :-** There are no individual rights on the said land.

(2) **Rights of Communities** :- There are no Communities rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2016

क्रमांक एफ–25–62/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 04 के प्रावधान / उपवन्धो व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार, जहॉ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित /रूपभेदित किये जाये के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगे। यह वनखण्ड **N 24°48' 21.3" से N 24°49' 12.8"** उत्तर अक्षांश तथा **E 80° 50' 13.8" से E 80° 51' 3.5"** पूर्व देशांस के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला–सतना **तहसील.– बिरसिंहपुर**
वनमण्डल.– सतना **वनपरिक्षेत्र –मझगवॉ**

क्र.		वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा कमांक	क्षेत्रफल हैक्ट0	
1	स्वाता	स्वाता	राजस्व भूमि	19/1/ख 2/1 17/1 27/1	52.160 4.465 6.396 4.979	**उत्तर** – प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 41 से 47 तक कृत्रिम वन सीमा। **पूर्व**– प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 47 से 08 तक कृत्रिम वन सीमा। **दक्षिण**– प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 35 तक कृत्रिम वन सीमा। **पश्चिम**– प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 35 से P 863 के मुनारा क्र. 43 तक की संयुक्त वन सीमा तथा P 863 के मुनारा क्रमांक 43 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 41 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	**68.00**	
		चंदई	राजस्व भूमि	2/1/ख 2/3	7.819 4.181	
				योग –	**12.00**	
				कुलयोग–	**80.00**	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः–

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कमांक **6–एम0पी0सी 060/2011–बी.एच.ओ./991 दिनांक 12.6.2012 एवं 8–66/2010 एफ.सी. दिनांक 14.01.2011** में अधिरोपित शर्त के अनुसार में. **रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा0लि0 मैहर** की स्वीकृत परियोजना **लाइम स्टोन माइनिग एवं कन्वेयर बेल्ट निर्माण** में प्रभावित **80.00** हैक्टयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल **80.00** हैक्टयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि **80.00** हैक्टयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में **कलेक्टर सतना** के आदेश कमांक/**पृ0 क0/142/चार.आर./11 दि. 11.03.2011** हस्तातरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणो का विवरण– **निरंक**

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम अधिकारी **तहसीलदार बिरसिंहपुर जिला–सतना** (पद नाम) के प्रतिवेदन कमांक– **87** दिनांक **03.02.2016** द्वारा अभिलेखित अधिकारों को खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है–

1. व्यक्तिगत अधिकार – उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार– उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2016

एफ–25–62–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–62–2016–दस–3, दिनांक 28 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 28th June 2016

No F-25-62/2016/10-3 :: In exercise of the power conferred by section 29 of the Indian forest Act, 1927 (XVI of 1927), the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state Government from time to time . This Forest Block lies between **N 24°48' 21.3"** to **N 24°49' 12.8"** North Latitude and **E 80° 50' 13.8"** to **E 80° 51' 3.5"** East Longitude.

SCHEDULE

District - Satna **Tahsil - Birsinghpur**
Forest Division - Satna **Forest Range - Majhgawan**

S.N	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Proposed Forest Block	Name of village	Present head of land	Khasra No	Area (hect.)	
1	SWATA	SWATA	Revenue Land	19/1/ख 2/1 17/1 27/1	52.160 4.465 6.396 4.979	**North** - Proposed Artificial Forest Boundary from Pillar No. 41 to 47. **East**- Proposed Artificial Forest Boundary from Pillar No. 47 to 08. **South**- Proposed Artificial Forest Boundary from Pillar No. 08 to 35. **West** - Proposed Joint Forest Boundary from Pillar No. 35 to 43 of Compartment No. P-863 and Artificial Boundary from Pillar No. 43 of P 863 to Proposed block Pillar No.41
				Total	68.00	
		CHANDAI		2/1/ख 2/3	7.819 4.181	
				Total	12.00	
				G. Total	80.00	

A) Reason for publication of Notification : -

1- In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest, Govt. of India's order No **6-MPC 060/2011-BHO/991 dated 12-06-2012& 8-66/2010 FC dated 14-01-2011** and in lieu of **80.00**.hect. of affected forest land under the sanctioned Project of **Lime stone Mining & Construction of Conveyor Belt.** of **M/s Reliance Cementation Pvt. Ltd.** in, the above mentioned Non forest Land of **80.00** hect. Transferred or muted in fervor of M.P. Govt. Forest Department by order No **142/Char.Aar./11** dated-**11-03-2011**of **Collector Satna** for the purpose of compensatory afforestation.

2- Details of other Reason- **NIL**

(B) The Khasara Wise details of recorded rights on the above land as per report No- **87 dated 03-02-2016** of **Tahsildar Birsinghpur Dist. Satna** .(Designation of competent Revenue officer) are as under.

1- Individual Rights- **No** Individual Rights to the land

2- Community Rights – No Community Rights to the land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2016

क्रमांक एफ 25–88/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927)की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एदद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या सामुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेतिद किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वन खण्ड N 24^0 55' 37.3" से N 24^0 55' 57.3" उत्तर अक्षांश तथा E 081^0 41' 08.3" से दक्षिण E $081^0$41' 46.6" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला :– रीवा **तहसील :– त्योथर**

वनमण्डल :–रीवा सामान्य **वन परिक्षेत्र :– चाकघाट**

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वन खण्ड की सीमायें
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	लाद	लाद	शासकीय राजस्व भूमि	37/2	3.710	पश्चिम– प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 51 से 34 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण– प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 34 से 32 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व– प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 32 से 01 तक कृत्रिम वन सीमा। उत्तर– प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 51 तक कृत्रिम वन सीमा।
				44	8.280	
				45	2.618	
				47	7.677	
				149	9.752	
				योग	**32.037**	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः–

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कमांक No. 6- MPG049/2012-BHO/1488 दिनांक 11/09/2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड रीवा की स्वीकृत परियोजना मनगवां से चाकघाट तक राष्ट्रीय राजमार्ग –27 निर्माण में प्रभावित 23.00 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 32.037 हेक्टेयर गैर वनभूमि से उपरोक्त वर्णित भूमि 32.037 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर रीवा के आदेश कमांक 90/अ–19/मूल/2012/13, दिनांक 23 जुलाई 2013 हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण– निरंक।

(ख) उपरोक्त भूमि पर समक्ष राजस्व अधिकारी तहसीदार अनुविभाग त्योथर जिला रीवा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

1. व्यक्तिगत अधिकारः– उक्त भमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकारी नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकारः– उक्त भमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2016

एफ-25-88-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-88-2016-दस-3, दिनांक 28 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 28th June 2016

No. F-25-88/2016/10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act 1927,(XVI of 1927)] the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas. Specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by that State Government form time to time. This Forest Block lies between N 24^0 55' 37.3" to N 24^0 55' 57.3" North Latitude and E 081^0 41' 08.3" to E $081^0$41' 46.6" East Longitude.

SCHEDULE

District:- Rewa Tahsil :- Tyothar

Forest Division :- General Division Rewa Forest Range :- Chakghat

S.N.	Details of Land included					Forest Block Boundaries
	Name of proposed Forest Black	Name of Village	Present head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Lad	Lad	Govt. Revenue Land	37/2	3.710	**West-** Proposed Artificial Forest Boundary from pillar no. 51 to 34 **South-** Proposed Artificial Forest Boundary from pillar no. 34 to 32 **East-** Proposed Artificial Forest Boundary from pillar no. 32 to 01 **North-** Proposed Artificial Forest Boundary from pillar no. 01 to 51.
				44	8.280	
				45	2.618	
				47	7.677	
				149	9.752	
				Total	**32.037**	

(A) Reason for publication of Notification:-

1- In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. No. 6- MPG049/2012-BHO/1488 Dated 11/09/2013 and in lieu of 23.00 hectare out of 32.037 hectare sanctioned. Affected forest land under the sanctioned project of mangawa to chakghat National Highway no. 27 of Madhya Pradesh Development corporation Limited rewa the above mentioned Non Forest Land of 32.037 Hectare Transferred or muted in favor of M.P. Forest Department by order No. 90/अ–19/मूल/2012/13, Date 23 July 2013 of Collector Rewa for the Purpose of Compensatory a forestation.

2- Details of other Reasons - Nill

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tahsildar Tyothar District Rewa are as under.

1. Individuals Rights:- There are no Individuals Rights on the said land.

2. Communities Rights:- There are no Communities Rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2016

क्रमांक एफ–25–102/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता हैं कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहॉ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें,के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखंड N22°09'32.59 से N 22°09'37.82" उत्तर अक्षांश तथा E78°23'13.011 से E78°23'13.26 पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – छिन्दवाड़ा
वनमंडल – पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल

तहसील– जुन्नारदेव
वनपरिक्षेत्रा– जामई

अ.क.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमायें
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क.	क्षेत्राफल (हेक्टेयर)	
1	भरदागढ़ ब	भरदागढ़	बड़े झाड़ का जंगल	374	26.817	उत्तर – मुनारा कमांक 10 (N22°09'32.59 से E78°23'18.69)
						पूर्व – पोटिया नाला की सीमा मुनारा कमांक 1 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा
						दक्षिण – मुनारा कमांक 04 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा
						पश्चिम – मुनारा कमांक 05 (N22°09'41.67 से E78°23'13.26")
योग :–					26.817	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार–

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कमांक **MPC008/2015-BHO/374** दिनांक **28.04.15** में अधिरोपित शर्त के अनुसार म0प्र0 सड़क विकास निगम भोपाल की स्वीकृत परियोजना बैतूल–सारणी–टेकाढाना–जुन्नारदेव–परासिया राज्य राजमार्ग कमांक 43 निर्माण में प्रभावित 31.679 हे0 में से 19.653 हेक्टेयर स्वीकृत है। शेष भूमि रकबा 12.026 हे0 प्रस्तावित कारीडोर होने के कारण स्वीकृति आपेक्षित है। प्रभावित रकबा 31.679 हे0 वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 26.817 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 26.817 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश कमांक राजस्व प्रकरण कमांक 123/अ–19(3)/2014–15 दिनांक 23.03.15 एवं संशोधित आदेश कमांक 156,157/अ–19(3)/2014–15 दिनांक 20.07.2015 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण–पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है –

1. व्यतिगत अधिकार :– उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकारी नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :– उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2016

एफ–25–102–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–102–2016–दस–3, दिनांक 28 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 28th June 2016

No. F-25-102/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927,(XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N22°09'37.82" to N22°09'32.59" **North Latitude and** E78°23'13.26" to E78°23'13.011" **East Longitue.**

SCHEDULE

District :-Chhindwara **Tahsil :- Junnardev**

Forest Division:-West division chhindwara **Forest Range:- Jamai**

S.N.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	**Bharda Gadh B**	**Bharda Gadh**	**Bade Jhad Ke Jungle**	**374**	**26.817**	North- Artificial Pillar No 10 (N22°09'32.59" to E78°23'18.69")
						East- Artificial forest boundary Pillar No 1 to 4 of Potia Nala
						South- Artificial forest boundary from Pillar No 4 to 5
						West- Artificial forest boundary from Pillar No 5 (N22°09'41.67" to E78°23'13.26")
Total					**26.817**	

(A) Reason for publication of Notification:-

1. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt. of India's order No MPC008/2015-BHO/374 dated 28.04.2015 and in lieu of 19.653 hectare out of 31.679 hectare sanctioned. The sanction of rest of the area 12.026 hectare are leftover because of proposed Corridor. affected forest land under the sanctioned project of Betul-Sarni-Tekadhana-Junnardev-Parasia State Highway no 43 of Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited the above mentioned Non Forest Land of 26.817 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt. Forest Department by order No 123/A-19(3)/2014-15 dated 23.03.2015 and revised order No 156,157/A&19(3)/2014-15 dated 20.07.2015 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory a forestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar-Junnardev District Chhindwara are as under :-

1. Individuals Rights :- There are no individual rights on the said land.

2. Communities Rights:- There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक एफ–25–8/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहॉ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रुपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें। यह वनखण्ड N26°6'9.45" से N26°6'17.78", "उत्तर अक्षांश तथा E78°38'32.30" से E78°38'41.50" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – दतिया
वनमण्डल–दतिया

तहसील–सेंवढ़ा
वन परिक्षेत्र –सेंवढ़ा

अनु. क्रं.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा कमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर	
1	2	3	4	5	6	7
1	सेंवढ़ा (स)	ड़ोंगरपुर	शासकीय राजस्व भूमि	61 62	0.809 1.807	**उत्तर** – मुनारा क्रमांक 167/1, (N-26°6'17.78", E-78°38'37.50") जो संरक्षित वनखण्ड सेंवढ़ा के मुनारा क्रमांक 167 एवं 168 के बीच में हैं। **पूर्व** – मुनारा क्रमांक 167/1 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा। **दक्षिण** – मुनारा क्रमांक 1 से 168/1 तक की कृत्रिम वनसीमा। **पश्चिम** – मुनारा क्रमांक 168/1 से 167/1 तक की वनसीमा।
	योग				2.616	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1–पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक **6–एम.पी.बी. 004/2009–बी.एच.ओ./3146** दिनांक **30–05–2011** में अधिरोपित शर्त के अनुसार महा प्रबंधक म.प्र. ग्रा. स. वि. प्रा. परियोजना क्रियान्वयन इकाई भिण्ड की स्वीकृत परियोजना **सेंवढ़ा–मौ मार्ग से लिलवारी से पहुंच मार्ग निर्माण** में प्रभावित 2.016 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल **2.016** हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि **2.016** हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में **कलेक्टर जिला दतिया के आदेश क्रमांक 06/अ–19/2009–10/7204–5** दिनांक **05.12.2009** से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2– **अन्य कारणों का विवरण** – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर समक्ष राजस्व अधिकारी तहसीलदार सेंवढ़ा जिला दतिया के प्रतिवेदन **दिनांक 17.12.2009 (संलग्न)** द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

(1) व्यक्तिगत अधिकार – कोई नही

(2) सामुदायिक अधिकार –कोई नही

1–पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक **6–एम.पी.बी. 044/2009–बी.एच.ओ./825** दिनांक **10–05–2010** में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग दतिया की स्वीकृत परियोजना **चरोखरा से रतनगढ़ पहुंच मार्ग निर्माण** में प्रभावित 0.600 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल **0.600** हेक्टेयर गैर वनभूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि **0.600** हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में **कलेक्टर जिला दतिया के आदेश क्रमांक 05/अ–19/2009–10/7203–5** दिनांक **05.12.2009** से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2– **अन्य कारणों का विवरण** – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर समक्ष राजस्व अधिकारी तहसीलदार सेंवढ़ा जिला दतिया के प्रतिवेदन **दिनांक 16.12.2009 (संलग्न)** द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

(1) व्यक्तिगत अधिकार – कोई नही

(2) सामुदायिक अधिकार –कोई नही

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

एफ–25–8–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–8–2016–दस–3, दिनांक 30 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 30th June 2016

No. F-25-8/2016/10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

This Forest Block lies between N-26°6'9.45" to N-26°6'17.78" North Latitude and E-78°38'32.30" to E-78°38'41.50" East Longitude.

SCHEDULE

District - Datia
Forest Division - Datia

Tehsil – Seondha
Forest Range – Seondha

S. No.	Detail fo Land Incluted					Forest Block Boundaries
	Name of Pr Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in hact.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Seondha (C)	Dongarpur	Govt. revenue land	61 62	0.809 1.807	**North-** Pillar Number 167/1, (N-26°6'17.78", E-78°38'37.50") which is Between Pillar Number 167 and 168 Of Forest Block Seondha. **East-** Artificial Forest Boundary From Pillar Number 167/1 to 1 **South-** Artificial Forest Boundary From Pillar Number 1 to 168/1 **West -** Forest Boundary From Pillar Number 168/1 to 167/1
Grand Total					**2.616**	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. **6-MPB 004/2009-BHO/3146** dated **30-05-2011** and in lieu of **2.016** hactare of affected forest land under the sanctioned project of **Constraction Of Approch Road Of Seondha-Mau To Lilwari Village** of **G.M.P.R.D.C. Bhind** the above mentioned Non Forest Land of **2.016** hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. **Collector Datia order No. 6/A-19/2009-10/7204-5 dated 05.12.2009** for the purpose of compensatory afforestation in to be declared as protected forest.
2. Details of other Reasons -: **Nil**

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated **17-12-2009** By The Thesildar Seondha District Datia are as under. (enclosed)

(1) Rights of individuals :- **Nil**

(2) Rights of Communities :- **Nil**

3. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. **6-MPB 044/2009-BHO/825** dated **10-05-2010** and in lieu of **0.600** hactare of affected forest land under the sanctioned project of **Constraction Of Approch Road Charokhra To Ratangarh** of **E.E. P.W.D. Datia** the above mentioned Non Forest Land of **0.600** hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. **Collector Datia order No. 6/A-19/2009-10/7203-5 dated 05.12.2009** for the purpose of compensatory afforestation in to be declared as protected forest.
4. Details of other Reasons :- **Nil**

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated **16-12-2009** By The Thesildar Seondha District Datia are as under. (enclosed)

(1) Rights of individuals :- **Nil**

(2) Rights of Communities :- **Nil**

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक एफ–25–9/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहॉ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगें। यह वनखण्ड N-26° 08' 3" से N-26° 07' 56.6" उत्तर अक्षांश तथा E-78° 32' 17" से E-78° 31' 58" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – ग्वालियर तहसील – ग्वालियर
वनमण्डल – ग्वालियर वन परिक्षेत्र – बेहट

अनु. क्रं.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमायें
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
1	2	3	4	5	6	7
1	राहुली (अ)	राहुली	शासकीय चरनोई	258 259 260 मिन 261 मिन 262 मिन	3.344 3.344 1.376 1.327 2.609	**उत्तरः–** प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं0 1, 2 एवं वनखण्ड राहुली "ब" के मु.क्रं. 6, 5, 4 एवं 3 तक की कृत्रिम वन सीमा। **पूर्व :–** प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र0 3 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा। **दक्षिणः–** प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा। **पश्चिमः–** प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
योग					12.000	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र गोपाचल न्यास ग्वालियर
(सर्वे क्रं0 258, 259,260 मिन,261 मिन 262 मिन रकवा 11.970 हे0) :–

1–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक/**एफ 8–196/90–एफ. सी.** दिनांक **25–01–2000** में अधिरोपित शर्त के अनुसार **श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र गोपाचल न्यास ग्वालियर** की स्वीकृत परियोजना **गोपाचल** पर्वत निर्माण में प्रभावित 11.970 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 12.000 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 12.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से म0प्र0 शासन वन विभाग के पक्ष में **अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर** के आदेश क्रमांक **4/99–2000/अ–19(2)** दिनांक **05–11–1999** से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2– **अन्य कारणो का विवरण** – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू–अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

(1) **व्यक्तिगत अधिकार** –उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है।

(2) **सामुदायिक अधिकार** –उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

एफ–25–9–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–9–2016–दस–3, दिनांक 30 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 30th June 2016

No F-25-9/2016/10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-26° 08' 3" to N-26° 07' 56.6" North Latitude and E-78° 32' 17" to E-78° 31' 58" East Longitude.

SCHEDULE

District - Gwalior Tehsil - Gwalior

Forest Division- Gwalior Forest Range – Behat

S.No.	Name of Proposed Block	Detail fo Land Incluted				
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in hact.	Forest Block Boundaries
1	2	3	4	5	6	7
1	Rahuli (A)	Rahuli	Govt. charnoi	258 2 59 260 Min 261 Min 262 Min	3.344 3.344 1.376 1.327 2.609	**North-** Artificial Forest boundary from pillar Number 1, 2 and block Rahuli "B" pillar no. 6, 5, 4 to 3 Forest boundary line. **East -** Artificial Forest boundary from pillar Number 3 to 4 **South-** Artificial Forest boundary from pillar Number 4 to 9 **West -** Artificial forest boundary from pillar Number 9 to 1
Total					12.000	

(A) Reason for publication of Notification :-

1- Shri Digamber jain Atishay Kshetra Gwalior
(sureve No. 258,259,260 Min,261 Min,262 Min area 11.970 Ha.)

1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. **F8-196/90-FC** dated **25-01-2000** and in lieu of **11.970** hactare of affected forest land under the sanctioned project of **Gopachal parvat Niyas** of **Shri Digamber jain Atishay Kshetra Gwalior,** the above mentioned Non Forest Land of **12.000** hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. **4/99-2000/A-19 (2)** dated **05-11-1999** of **Aper collector Disst. gwalior** for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist. Gwalior are as under. (enclosed)

(1) **Rights of individuals :-** There are no individual rights on the said land.
(2) **Rights of Communities** :- There are no Communities rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक एफ–25–56/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहॉ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रुपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें। यह वनखण्ड N26°5'10.71" से N26°5'15.30" उत्तर अक्षांश तथा E78°37' 50.79" से E78°37' 55.0" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – दतिया तहसील–सेंवढ़ा

वनमण्डल–दतिया वन परिक्षेत्र –सेंवढ़ा

अनु. क्रं.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा कमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर	
1	2	3	4	5	6	7
1	सेंवढ़ा (ब)	मेढपुरा	शासकीय राजस्व भूमि	61 भाग	0.915	**उत्तर :–** वनखण्ड सेंवढ़ा का मुनारा क्रमांक 176 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा। **पूर्व :–** मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा। **दक्षिण :–** मुनारा क्रमांक 2 से वनखण्ड सेंवढ़ा का मुनारा क्रमांक 177 तक की कृत्रिम वन सीमा। **पश्चिम :–** वनखण्ड सेंवढ़ा का मुनारा क्रमांक 177 से 176 तक की वन सीमा।
योग					**0.915**	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1–पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक **6–एम.पी.बी. 109/2007–बी.एच.ओ./3717** दिनांक **09–08–2007** में अधिरोपित शर्त के अनुसार **कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण एवं सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर** (आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना **रतनगढ से बसई मलक मार्ग एवं पुल निर्माण** में प्रभावित 0.915 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल **0.915** हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि **0.915** हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में **कलेक्टर जिला दतिया के आदेश क्रमांक/60बी–121/2006–07** दिनांक **12.12.2006** से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2– अन्य कारणों का विवरण – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर समक्ष राजस्व अधिकारी तहसीलदार सेंवढ़ा जिला दतिया के प्रतिवेदन **दिनांक 12.06.2008 (संलग्न)** द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

(1) व्यक्तिगत अधिकार – कोई नही

(2) सामुदायिक अधिकार –कोई नही

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

एफ–25–56–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–56–2016–दस–3, दिनांक 30 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 30th June 2016

No F-25-56/2016/10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N26°5'10.71" to N26°5'15.30" North Latitude and E78°37' 50.79" to E78°37'55.0" East Longitude.

SCHEDULE

District - Datia
Forest Division - Datia

Tehsil – Seondha
Forest Range – Seondha

S. No.	Detail fo Land Incluted					Forest Block Boundaries
	Name of Pr Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in hact.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Seondha (B)	Maidpura	Govt. revenue land	61 Part	0.915	**North–** Artificial Forest boundary From Pillar No. 176 Of Forest Block Seondha to pillar No. 1 **East -** Artificial Forest boundary from pillar No. 1 to 2 **South-** Artificial Forest boundary from pillar No. 2 to Pillar No. 177 Of Forest Block Seondha **West -** Forest boundary From pillar Number 177 to 176 Of Forest Block Seondha
Grand Total					0.915	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. **6-MPB 109/2007-BHO/3717** dated **09-08-2007** and in lieu of **0.915** hactare of affected forest land under the sanctioned project of **Constraction Of Ratangarh to Basaimalik Road & Bridge** (Name of project) of **E.E PWD & Bridge Constraction Division Gwalior** (Name of user Department /Agency/Person) the above mentioned Non Forest Land of **0.915** hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. **Collector Datia order No. 60B-121/2006-07 dated 12.12.2006** for the purpose of compensatory afforestation in to be declared as protected forest.
2. Details of other Reasons -: **Nil**

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated 12.06.2008 By The Thesildar Seondha District Datia are as under. (enclosed)

(1) Rights of individuals :- **Nil**

(2) Rights of Communities :- **Nil**

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

Bhopal, the 30th June 2016

क्रमांक एफ–25–86/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगें। यह वनखण्ड N 24° 21' 14.86" से N 24° 21' 37.00" उत्तर अक्षांश तथा E 79° 34' 25.09" से E 79° 35' 13.03" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – दमोह
वनमण्डल – दमोह (सा0)
तहसील – हटा
वन परिक्षेत्र – हटा

अनु. क्रं.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमायें
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
1	2	3	4	5	6	7
1	बछामा	बछामा	म.प्र. शासन घास	23/2 (भाग)	55.00 (आंशिक)	उत्तरः– मुनारा क्रमांक 54/5 से 1 तक की वनकक्ष क्रमांक पी.एफ. 356 की दक्षिणी सन सीमा एवं मुनारा क्रमांक 1 से 8 तक एव प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से 10 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्वः– प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिणः– प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 23 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिमः–प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 23 से 55/5 तक की कृत्रिम वनसीमा एवं मुनारा क्रमांक 55/5 से 54/5 तक वनकक्ष क्रमांक पी.एफ. 357 की पूर्वी सीमा एवं कक्ष क्रमांक पी.एफ. 356 की दक्षिणी सीमा।
	योग				55.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6MHB039/2012-BHO/406 दिनांक 11.03.2013, आदेश क्रमांक 6MPC052/2012-BHO/423 दिनांक 15.05.2015 एवं म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–5/11/06/10–3 दिनांक 29.05.2009 के निर्देशानुसार अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक 404 दिनांक 02.02.2012 के द्वारा क्रमांकशः कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, दमोह की स्वीकृत परियोजना छोटी कटंगी जलाशय परियोजना में प्रभावित 3.60 हेक्टेयर वनभूमि अम्बाही जलाशय परियोजना में प्रभावित 36.89 हेक्टेयर वनभूमि एवं भैसखार जलाशय परियोजना में प्रभावित 0.95 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 55.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 55.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र.04–अ/59 वर्ष 2008–09 दिनांक 19.08.2009 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2– **अन्य कारणो का विवरण** – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा जिला दमोह के प्रमाण–पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

(1) **व्यक्तिगत अधिकार** – कोई व्यक्ति समुदाय नहीं है।

(2) **सामुदायिक अधिकार** – कोई व्यक्ति समुदाय नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

एफ–25–86–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–86–2016–दस–3, दिनांक 30 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 30th June 2016

No F-25-86/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24° 21' 14.86" to N 24° 21' 37.00" North Latitude and E 79° 34' 25.09" to E 79° 35' 13.03" East Longitude.

SCHEDULE

District	-	Damoh	Tehsil	– Hatta
Forest Division	-	Damoh (Territorial)	Forest Range	– Hatta

S.N	Name of Proposed Forest Block	Detail fo Land Incluted				
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in hact.	Forest Block Boundaries
1	2	3	4	5	6	7
1	Bachhama	Bachhama	M.P. Govt. Ghaas	23/2 (Part)	55.00 (Partial)	**North–** Southem Forest Boundary of Compartment no. P356 from Pillar No. 54/5 to 1 and proposed Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 8 and 8 to 10. **East -** Proposed Artificial Forest boundary from pillar No. 10 to 15. **South-** Proposed Artificial Forest boundary from pillar No. 15 to 23. **West -** **Proposed** Artificial Forest boundary from pillar No. 23 to 55/5 and Eastern Boundary of Compartment no. PF 357 and Southern Boundary of Compartment no. PF 356 from Pillar No. 55/5 to 54/5.
Grand Total					**55.00**	

(A) Reason for publication of Notification :-

1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 6MHB039/2012-BHO/406 dated 11.03.2013, order no. 6MPC052/2012-BHO/423 dated 15.05.2015 and Office Letter No. 404 dated 02.02.2012, In accordance with condition in Guideline of M.P. Govt. Forest Department and in lieu of 3.60 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Chhoti Katngi Tan, 36.89 hectare of affected forest land under the sanctioned Project of Amwahi Tank, and 0.95 hectare of affected forest land under the sanctioned Project of Bhainskhar Tank, of Executive Engineer water Resources Division Damah, the above mentioned Non Forest Land of 55.00 Hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt, Forest Dapartment by order No. रा.प्र.क्र.04–अ/59 year 2008-09 dated 19-08-2009 of Collector damoh for the pupose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the land as per report (Certificate) of Tahsildar Hatta District Damoh are as under.

(1) **Rights of individuals :-** There is no individual rights on the said land.
(2) **Rights of Communities** :- There is no communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 20 अप्रैल 2016

क्र. 4304-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. भोमा.	ग्राम-खिरखिरी ब. न.-115 प.ह.नं.-44.	रकबा 9.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर 18-R, एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

सिवनी, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. 4328-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	छपारा रा.नि.मं. छपारा.	ग्राम-झिलमिली ब. न.-271 प.ह.नं.-37.	रकबा 5.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर 9-R, नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उलेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4313-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्ड़ोल.	ग्राम-नारायणगंज ब. न.-360 प.ह.नं.-30.	रकबा 26.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 एवं माइनर 11-R, 13-R, 14-R नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3436-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्ड़ोल.	ग्राम-बन्ड़ोल ब. न.-400 प.ह.नं.-31.	रकबा 20.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-3 एवं माइनर 9-L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4316-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्ड़ोल.	ग्राम-झिलमिली ब. न.-223 प.ह.नं.-27.	रकबा 11.50 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 एवं माइनर 15-L, 17-L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4335-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	छपारा रा.नि.मं. छपारा.	ग्राम-पायलीकला ब. न.-423 प.ह.नं.-36.	रकबा 2.50 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर 11-L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4325-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्ड़ोल.	ग्राम-परासिया ब. न.-174 प.ह.नं.-28.	रकबा 40.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 माइनर 17-L, 16-R, 18-R, 19-R, 20-L, 21-L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4358-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. भोमा.	ग्राम-बेलखेड़ी ब. न.-436 प.ह.नं.-44.	रकबा 9.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर 18-R, एवं सब-माईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4327-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्ड़ोल.	ग्राम-अलोनिया ब. न.-01 प.ह.नं.-27.	रकबा 19.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-3 एवं माइनर 12-L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4331-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्ड़ोल.	ग्राम-भोगाखेड़ा ब. न.-463 प.ह.नं.-36.	रकबा 16.50 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-3 एवं माइनर 1-L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4332-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2.	ग्राम-नरेला ब. न.-303 प.ह.नं.-100.	रकबा 10.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-3 माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4333-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की

संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	छपारा रा.नि.मं. छपारा.	ग्राम-सादकसिवनी ब. न.-697 प.ह.नं.-39.	रकबा 5.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर 12-R नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के में बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4338-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन,

इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	छपारा रा.नि.मं. छपारा.	ग्राम-गोहना ब. न.-177 प.ह.नं.-38.	रकबा 10.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4340-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन,

इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयेग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयेजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्डोल.	ग्राम-घोटी ब. न.-154 प.ह.नं.-33.	रकबा 10.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-2 माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4342-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयेग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयेजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्ड़ोल.	ग्राम-खामखरेली ब. न.-113 प.ह.नं.-39.	रकबा 7.50 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4347-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयेग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयेजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्ड़ोल.	ग्राम-कुकलाह ब. न.-69 प.ह.नं.-30	रकबा 20.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 एवं माइनर 10-R नहर के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4352-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयेग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40

के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	छपारा रा.नि.मं. छपारा.	ग्राम-परासिया ब. न.-404 प.ह.नं.-38.	रकबा 5.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली 20-L माईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4345-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2.	ग्राम-सिमरिया ब. न.-567 प.ह.नं.-99.	रकबा 5.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-3 एवं D-4 माईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4354-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	छपारा रा.नि.मं. छपारा.	ग्राम-सिमरिया ब. न.-723 प.ह.नं.-38.	रकबा 2.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर 21-L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4357-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बंडोल.	ग्राम-गोरखपुरकला ब. न.-143 प.ह.नं.-26.	रकबा 21.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर 12-L, D-3, माईनर 5-R, 6-L, 7-R नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4359-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बंड़ोल.	ग्राम-चोरगठिया ब. न.-179 प.ह.नं.-36.	रकबा 17.50 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-3, D-4 एवं माइनर 4-L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4360-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बंड़ोल.	ग्राम-राहीवाड़ा ब. न.-519 प.ह.नं.-31.	रकबा 27.50 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पतियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-3, D-4 एवं माइनर 3-L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4364-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बंडोल.	ग्राम-उमरिया ब. न.-27 प.ह.नं.-26.	रकबा 21.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-3, माईनर 7-R, 8-R, 9-R नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4367-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	छपारा रा.नि.मं. छपारा.	ग्राम-पायलीखुर्द ब. न.-525 प.ह.नं.-36.	रकबा 10.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-3, एवं माईनर 10-L, 11-L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4369-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2.	ग्राम-नगझर ब. न.-301 प.ह.नं.-96.	रकबा 10.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4, माईनर 1-L, नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4377-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बन्ड़ोल.	ग्राम-टोला पिपरिया ब. न.-234 प.ह.नं.-30.	रकबा 3.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4, माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4378-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बन्ड़ोल.	ग्राम-सोनाड़ोगरी ब. न.-590 प.ह.नं.-37.	रकबा 50.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-3, D-4, एवं माइनर 5-L, 6-L, 7-L, 8-L, नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4379-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन, विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बन्ड़ोल.	ग्राम-गोरखपुरखुर्द ब. न.-144 प.ह.नं.-28.	रकबा 6.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर 14-R, 16-R नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4380-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	छपारा रा.नि.म. छपारा.	ग्राम-पिड़रई ब. न.-435 प.ह.नं.-38.	रकबा 5.50 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 एवं माईनर 22-R नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

सिवनी, दिनांक 21 जून 2016

क्र. 5931-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बंडोल.	ग्राम-बिसापुर ब. न.-523 प.ह.नं.-29.	रकबा 6.4 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5933-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बंडोल.	ग्राम-सागर ब. न.-693 प.ह.नं.-53.	रकबा 3.33 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5935-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. भोमा.	ग्राम-खापा ब. न.-110 प.ह.नं.-42.	रकबा 2.41 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5937-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. भोमा.	ग्राम-सालीवाड़ा ब. न.-559 प.ह.नं.-47.	रकबा 3.23 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5939-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. भोमा.	ग्राम-लुंगसा ब. न.-529 प.ह.नं.-47.	रकबा 5.71 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5941-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बंडोल.	ग्राम-टोला पिपरिया ब. न.-234 प.ह.नं.-30.	रकबा 11.45 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5943-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. भोमा.	ग्राम-पौंडी ब. न.-368 प.ह.नं.-43.	रकबा 9.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5945-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बंडोल.	ग्राम-बीसावाडी ब. न.-426 प.ह.नं.-29.	रकबा 4.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5947-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बंडोल.	ग्राम-बल्लापुर ब. न.-394 प.ह.नं.-41.	रकबा 16.06 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5949-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. भोमा.	ग्राम-जोगीवाडा ब. न.-219 प.ह.नं.-45.	रकबा 5.62 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5951-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. भोमा.	ग्राम-कलारबांकी ब. न.-43 प.ह.नं.-46.	रकबा 15.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5953-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. भोमा.	ग्राम-खमरिया ब. न.-97 प.ह.नं.-43.	रकबा 19.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5955-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. भोमा.	ग्राम-कांचना ब. न.-62 प.ह.नं.-45.	रकबा 5.22 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5957-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बंडोल.	ग्राम-टिग्गी टोला ब. न.-316 प.ह.नं.-20.	रकबा 7.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5959-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. भोमा.	ग्राम-भाजीपानी ब. न.-529 प.ह.नं.-44.	रकबा 9.47 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

सिवनी, दिनांक 22 जून 2016

क्र. 6018-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2.	ग्राम-धतुरिया ब. न.-287 प.ह.नं.-101.	रकबा 3.07 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर नं. 29-L एवं सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6019-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2.	ग्राम-हिबरा ब. न.-602 प.ह.नं.-102.	रकबा 3.27 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर नं. 29-L एवं सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6020-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2.	ग्राम-सरगापुर ब. न.-536 प.ह.नं.-116.	रकबा 4.14 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर नं. 29-L एवं सबमाईनर नहर निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6021-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2.	ग्राम-खापा ब. न.-111 प.ह.नं.-101.	रकबा 1.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर नं. 29-L एवं सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6022-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2.	ग्राम-तिधरा ब. न.-258 प.ह.नं.-101.	रकबा 6.45 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर नं. 29-L एवं सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6023-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2.	ग्राम-लोलिया ब. न.-535 प.ह.नं.-102.	रकबा 4.20 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर नं. 28-L एवं सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6024-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2.	ग्राम-देवरी ब. न.-281 प.ह.नं.-99.	रकबा 2.65 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर नं. 29-L एवं सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6025-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2.	ग्राम-सिमरिया ब. न.-567 प.ह.नं.-99.	रकबा 1.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर नं. 29-L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6026-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2.	ग्राम-ढ़ेकी ब. न.-254 प.ह.नं.-102.	रकबा 5.59 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर नं. 29-L एवं सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ (ब्यावरा), दिनांक 22 जून 2016

क्र. 6054-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण क्रमांक 01-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में कुशलपुरा तालाब की नहर निर्माण में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम परसूलिया, पनाली एवं गेंहूखेड़ी के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

कुशलपुरा तालाब की नहर निर्माण में प्रभावित

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	परसूलिया	0.130	-	0.130
2	पनाली	0.100	-	0.100
3	गेंहूखेड़ी	0.070	-	0.070
	कुल योग . .	0.300	0	0.000

अनुसूची (2)

कुशलपुरा तालाब की नहर निर्माण में प्रभावित निजी भूमि का विवरण

क्रमांक	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, ग्राम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		
				सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ग्राम-परसूलिया					
1	रेवाराम, तोलाराम, द्रापतीबाई, कमलाबाई पिता हजारीलाल, गुलाबबाई पति स्व. हजारीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी.	452/1	0.772	0.130	–	0.130
			योग . .	0.130	–	0.130
	ग्राम-पनाली					
2	भागीरथ पिता गोपीलाल जाति काछी नि. ग्राम भू-स्वामी.	558/1	0.360	0.100	–	0.100
			योग . .	0.100	–	0.100
	ग्राम-गेहूंखेड़ी					
3	अमृतलाल, कोशल्याबाई, शीलाबाई पिता बापूलाल हि. 26 पै. रामचरण, प्रेम, मोहन, रमाबाई, गीताबाई, समदर, सरदारबाई पिता भंवरजी हि. 13 पै. बद्रीलाल, छगनलाल, मुंशीलाल लालजीराम पिता प्रभुलाल हि. 39 पै. कमलाबाई स्व. पति मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्रा. देवचन्द, घीसालाल पिता पूरालाल जाति सुनार हि. 13 पै. रामप्रसाद पिता गंगाधर, होकमसिंह पिता जगदीश प्रसाद, जाति धाकड़ नि. भेसाना हि. 9 पैसे भू-स्वामी.	368	0.850	0.070	–	0.070
		योग . .		0.070	–	0.070
		कुल योग . .		0.300	–	0.300

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 जून 2016

रा. प्र. क्र. -10-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन-2016.—म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा.2-ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी ''आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति'' (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की

निजी भूमि से संबंधित कृषकों को प्रारूप ''क'' में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप ''ख'' में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-समसवाडा, प.ह.नं.-16 ब.न.-266, रा.नि.म.-चौरई तहसील-चौरई,	शिवप्रसाद पिता धरमा तेली निवासी-ग्राम भूमिस्वामी.	36	0.360	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
				कुल योग . .	0.360	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. -10-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन-2016.—म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा.2-ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी ''आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति'' (Consent Land Purchase Policy) के तहत पठराखोकर जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से संबंधित कृषकों को प्रारूप ''क'' में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप ''ख'' में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पठराखोकर जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम-जूनापानीमाल, प.ह.नं.-06, ब.न.-203, रा.नि.म.-सांवरी तहसील-मोहखेड़.	भागचन्द पिता इस्याजी पवार निवासी-ग्राम भूमिस्वामी.	215/1	0.300	पठराखोकर जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजीभूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
				कुल योग . .	0.300	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. -11-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन-2016.—म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा.2-ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से संबंधित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-उमरियासोमजी प.ह.नं.-21/40, ब.न.-11, रा.नि.म.-चौरई तहसील-चौरई.	आशाराम पिता बाजीलाल गाडरी निवासी-ग्राम भूमिस्वामी.	93/6	0.080	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
				कुल योग . .	0.080	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

दिनांक 23 जून 2016

जा. क्र. 3030-भू-अर्जन-16-प्र. क्र. 09/अ-82-2015-16-भू-अर्जन-उदयपुरा.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-2ए, दिनांक 12-11-2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है. नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है. अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व

के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा:—

ग्राम का नाम—तिखावन **तहसील—उदयपुरा**

क्र.	ग्राम का नाम	भूमिस्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	तिखावन	प्रहलादसिंह, गोविंद सिंह, सत्यनारायण, जयराम, यशोदाबाई आ. हल्केवीर जाति किरार नि. भू-स्वामी.	52/1	0.821	0.044	कार्यपालन यंत्री, बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी, जिला रायसेन.	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की तिखावन माइनर I एवं II हेतु.
2		रामबाबू आ. बद्रीप्रसाद जाति किरार नि. भू-स्वामी.	51/1	0.938	0.048		
3		लक्ष्मीप्रसाद आ. कोमलसिंह जाति सोनी नि. ग्राम भू-स्वामी.	50	1.797	0.044		
4		रामसिंह आ. फूलसिंह जाति किरार नि. ग्राम नूरनगर कृषक तिखावन.	47/1/2	1.417	0.034		
5		रामेश्वर आ. खेमचन्द्र जाति किरार नि. ग्राम भू-स्वामी.	47/1/1	0.850	0.041		
6		केसर सिंह आ. खेमचन्द्र जाति किरार नि. ग्राम भू-स्वामी.	47/2	2.266	0.050		
7		रामस्वरूप आ. कुंजीलाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू-स्वामी.	46	3.205	0.136		
8		सुन्दरलाल, लक्ष्मीप्रसाद आ. घनश्याम जाति किरार नि. ग्राम भू-स्वामी.	43/2/2	0.296	0.013		
9		फूलसिंह आ. रघुनाथ सिंह जाति किरार नि. ग्राम भू-स्वामी.	43/1	0.891	0.056		
10		चन्द्रभान आ. चौ. साहबसिंह जाति किरार नि. भू-स्वामी.	64	1.740	0.095		
11		सुरेन्द्र सिंह आ. चौ. साहब सिंह जाति किरार नि. भू-स्वामी.	65	1.716	0.114		
12		गौरीशंकर, रमेशप्रसाद, रामसेवक आ. दामोदर प्रसाद एवं केशव प्रसाद, रामगोपाल, शनत कुमार, मुन्ना भैया आ. जमनाप्रसाद, सरजूबाई, प्रभाबाई, राधाबाई, कौशल्याबाई पुत्रियां दामोदर प्रसाद जाति ब्राम्हण नि. भू-स्वामी.	202	1.850	0.101		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13		रूप सिंह, भगवानसिंह ना. वा. आ. शंकरसिंह संरक्षक पिता स्वयं जाति मेना नि. ग्राम भू-स्वामी.	199	0.271	0.040		
14		वीरेन्द्र सिंह आ. कोमलसिंह जाति मेना नि. ग्राम भू-स्वामी.	198/2/1	0.607	0.239		
15		हल्के भैया आ. रामप्रसाद जाति मेना नि. ग्राम भू-स्वामी.	198/2/2	0.607	0.065		
16		दीवानसिंह आ. अजीत सिंह जाति मेना नि. ग्राम भू-स्वामी.	198/2/3	0.607	0.004		
17		कैलाशकुमार आ. लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम स्वामी.	196	1.445	0.085		
18		गौरीशंकर आ. दामोदर प्रसाद जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू-स्वामी.	197/1	2.994	0.150		
19		लच्छोवाई वि. गज्जा, कासीबाई, सुम्मीबाई पुत्री गज्जा जाति किरार नि. ग्राम भू-स्वामी.	183/2/1/2	3.045	0.160		
20		राघवेन्द्र सिंह आ. सुरेन्द्रसिंह जाति किरार नि. ग्राम भू-स्वामी.	185	1.619	0.060		
21		राजेन्द्रसिंह आ. चन्द्रभान सिंह जाति किरार नि. ग्राम भू-स्वामी.	322	3.238	0.135		
22		तुलाराम आ. रामचरण जाति गौड़ नि. ग्राम भू-स्वामी.	321/2	1.821	0.125		
23		ग्याप्रसाद आ. देवीसिंह जाति गौड़ निवासी ग्राम भू-स्वामी.	321/1/1/1	1.043	0.001		
24		रजनी पत्नि बल्लभ दास राठी नि. ग्राम नूरनगर कृषक तिखावन.	111	2.189	0.193		
25		पूजा पत्नि गोविंद जाति राठी नि. ग्राम नूरनगर कृषक तिखावन.	112/2 113/2/1	1.375 1.368	0.062 0.081		
26		मनोरमा पत्नि गोपालदास जाति राठी नि. ग्राम नूरनगर कृषक तिखावन.	112/1 113/1	0.514 2.222	0.030 0.047		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27		श्रीमती सारिका पत्नि भरत कुमार जाति राठी नि. ग्राम नूरनगर कृषक तिखावन.	113/2/2	2.733	0.163		
28		कुसुमबाई पत्नि जगदीश जाति महेश्वरी नि. ग्राम नूरनगर कृषक तिखावन.	128/1	3.238	0.282		
29		नरेश कुमार आ. घनश्याम जाति किरार नि. ग्राम भू-स्वामी.	160/2/2	0.809	0.064		
30		नर्मदीबाई पुत्री गुलाबसिंह जाति मेना नि. ग्राम भू-स्वामी.	161/2	1.599	0.084		
31		खुमानसिंह आ. तुलसीराम जाति किरार नि. ग्राम बरेली कृषक तिखावन.	158/1	3.802	0.149		
32		शिवम आ. रामाधार जाति किरार नि. ग्राम भू-स्वामी.	158/2/1/2	1.214	0.085		
33		शंकरसिंह, रामेश्वर, केसर सिंह आ. खेमचन्द्र जाति किरार नि. ग्राम भू-स्वामी.	158/2/2	0.962	0.023		
34		छोटेलाल आ. हल्केवीर जाति किरार नि. ग्राम भू-स्वामी.	157	9.300	0.206		
35		रामरज बाई वि. जगदीश प्रसाद जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू-स्वामी.	344/1/1	1.619	0.158		
36		संतोष कुमार आ. नर्वदाप्रसाद जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू-स्वामी.	344/2	2.020	0.029		
37		गोमती बाई वि. सरवाराम जाति गौड़ नि.ग्राम भू-स्वामी.	345/2	1.295	0.029		
38		मोहनसिंह आ. सरवाराम जाति गौड़ नि. ग्राम भू-स्वामी.	345/3	1.902	0.044		

ओ. पी. सोनी, सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व).

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. 4346-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—कोनियापार, ब. नं.-81, प.ह.नं. 115 रा.नि.म. सिवनी भाग-1.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.86 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
80/4	0.04
81	0.15
89/4	0.02
89/3	0.21
91	0.06
89/1	0.24
89/2	0.02
94	0.05
95/1	0.07
योग (अ) . .	0.86

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

0	0.00
योग (ब) . .	0.00
योग (अ)+(ब) . .	0.86

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 18-L माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic. in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4349-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—परतापुर, ब. नं.-320, प.ह.नं. 115 रा.नि.म. सिवनी भाग-1.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.08 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37/1	0.02
42	0.05
46/2	0.01
योग (अ) . .	0.08

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

0	0.00
योग (ब) . .	0.00
योग (अ)+(ब) . .	0.08

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic. in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4350-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—पलारी, ब. नं.-329, प.ह.नं.-129 रा.नि.म. सिवनी भाग-1.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.04 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
105/2	0.07
102/1	0.06
102/2	0.04
102/3	0.06
97/2	0.27
97/1	0.04
94	
129/1	
129/2	
131	0.22
132	
133/2	
135/2	
136/2	
137/2	
92/4	0.19
40/1	0.05

योग (अ) . .	1.00

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

93	0.04
योग (ब) . .	0.04
योग (अ)+(ब) . .	1.04

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 23-L माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic. in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4356-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—सुकरी, ब. नं.-583, प.ह.नं.-119 रा.नि.म. सिवनी भाग-1.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.50 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
226/7	0.06
219	0.18
214	0.21
215	0.01
212/2	0.07
212/4	0.15
211/1	0.08
211/2	0.18
221/2	0.56
योग (अ) . .	1.50

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

0	0.00
योग (ब) . .	0.00
योग (अ)+(ब) . .	1.50

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 7-L माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic. in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा

सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4363-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—लखनवाड़ा, ब. नं.-532, प.ह.नं.-114, रा.नि.म. सिवनी भाग-1.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.01 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
408	0.10
415	0.26
417/2	0.01
402	0.74
398/1	0.19
397/3	0.09
397/1	0.03
397/5	0.10
397/6	0.11
397/2	0.07
439	0.08
440	0.05
353/1	0.18
353/2	0.17
351/1, 351/2, 351/3	0.53
125/1, 125/2,	0.06
119/4	0.12
127	0.08
128	0.07
129	0.16
130	0.19
135	0.14
215	0.02
207	0.18
205	0.02
206	0.08
204/4	0.12
204/2	0.03
204/3	0.03
204/1	0.14
203/2	0.06
214	0.13
171	0.01
202/2	0.05
172	0.12
168	0.28
योग (अ) . .	4.80

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

357	0.03
356	0.03
120	0.04
91	0.03
162	0.08
योग (ब) . .	0.21
योग (अ)+(ब) . .	5.01

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 18-L एवं 19 माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित

संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic. in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4366-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—बम्होड़ी, ब. नं.-397, प.ह.नं.-115, रा.नि.म. सिवनी भाग-1.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.31 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
436/1	0.04
459	0.10
442	0.01
443	0.03
458/1	0.09
446	0.01
448/1	0.23
378	0.19
381	0.17
384	0.08
383/1	0.01
389	0.20
391	0.08
392/2	0.09
393/2	0.01
394	0.08
297	0.07
298	0.07
299	0.01
144	0.04
148	0.26
62	0.12
63	0.07
64/2	0.19
75	0.06
73/3	0.04
73/2	0.11
82	0.14
61/2	0.06
61/1	0.13
60	0.03
65	0.24
69	0.13
52	0.02
योग (अ) . .	3.21

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
420	0.02
395/1	0.02
149	0.04
136	0.01
53	0.01
योग (ब) . .	0.10

योग (अ)+(ब) . .	3.31

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 25-L, 26-L माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic. in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

सिवनी, दिनांक 22 जून 2016

क्र. 6004-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—धनौरा

(ग) नगर/ग्राम—माथनपुर, प.ह.नं.-41, रा.नि.मं.-धनौरा,

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.09 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18/2	0.10
19/2	0.11
16/1	0.13
19/1ख	0.04
12/1	0.13
12/2	0.04
12/3	0.05
13	0.03
49	0.34
50	0.03
योग (अ) . .	1.00

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

22	0.02
15	0.02
51	0.02
14	0.03
योग (ब) . .	0.09
योग (अ)+(ब) . .	1.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—संजय सरोवर परियोजना के अंतर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली अपर तिलबारा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 6027-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—पिण्ड़रई, ब. नं.-365प.ह.नं.-126, रा.नि.म. सिवनी भाग-1.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.74 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
46/1	0.02
41	0.01
38/	0.20
35/1	0.10
38/2	0.06
37	0.10
51	0.11
52/1	0.14
53	0.06
150/2	0.02
150/7	0.04
150/8	0.17
149/1	0.10
149/2	0.13
148	0.03
321	0.18
320	0.16
287	0.01
योग (अ) . .	1.64

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
220	0.02
151	0.02
316	0.06
योग (ब) . .	0.10
योग (अ)+(ब) . .	1.74

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 20-L माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic. in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के सक्षम प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 13 जून 2016

क्र. 229-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम—बर्रेह मनीराम
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.200 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
37	0.090
38/3	0.095
39/1	0.120
39/2	0.130
21	0.145
22	0.202
15/1/क/	0.200
7	0.202
9/1	0.016
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	1.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण रीवा शाखा के उपशाखा सोनौरा नं. 2 माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 230-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम—लालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.478 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
52/2	0.010
53/2	0.124
53/3	0.096
52/3	0.008
4/2	0.080
4/1	0.084
5	0.002
3	0.044
2	0.030
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	0.478

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण रीवा शाखा के उपशाखा सोनौरा नं. 2 माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 231-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम—गडौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.818 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
259/2	0.105
259/1/क	0.105
257/1/क	0.022
259/1/ख	0.018
257/1/ख	0.016
141/2	0.040
145/2/2	0.102
140/2	0.015
252	0.015
242/3	0.004
241	0.057
251	0.130

(1)	(2)
243	0.052
242/2	0.053
237	0.155
138	0.005
140/3	0.015
240/2	0.180
140/1	0.055
141/1	0.040
144/2	0.005
72	0.080
73	0.065
151/1	0.015
80	0.312
75/1	0.105
151/2	0.095
152/1	0.032
151/3	0.065
152/2	0.140
105	0.003
155/1	0.025
155/2	0.085
104	0.140
79/1	0.015
79/3	0.112
77	0.120
76	0.003
75/2	0.015
74	0.088
71/1	0.112
69	0.002
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	2.818

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण रीवा शाखा के उपशाखा सोनौरा नं. 2 माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 232-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम—बर्रेहा बड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.790 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर (1)	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
744/1क	0.072
742/1	0.087
738	0.109
737	0.012
734	0.012
744/2	0.002
742/2	0.016
743/1	0.050
740	0.036
739	0.005
736	0.020
735	0.008
370/1	0.050
370/2	0.081
371/2	0.010
463/1/क/5	0.036
463/1/क/4	0.036
463/1/क/3	0.036
463/1/ख	0.040
463/1/क/2	0.036
463/1/क/1	0.036
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	0.790

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण रीवा शाखा के उपशाखा सोनौरा नं. 2 माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 233-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—बडखुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.782 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
885/1	0.261
884/1	0.031
879	0.063
878	0.180
543	0.178
497	0.125
885/2	0.085
479/1	0.021
877	0.010
561	0.052
875/1	0.005
875/2	0.157
872	0.042
508	0.005
509	0.063
510	0.021
511	0.031
535	0.084
536	0.105
542/2	0.031
547/2	0.086
546/2	0.031
544	0.021
206/1	0.005
553	0.052
562	0.005
492	0.116
555	0.002
557	0.042
558/1	0.047
558/2	0.047
559	0.052
493/2	0.021
560	0.042
968	0.086
489	0.062
487	0.002
488/1/1/1	0.060
488/1/13	0.015
488/1/15	0.032
488/1/16	0.032
486	0.220
182	0.115
485	0.010
479/2	0.011
477	0.073
476	0.063
475	0.026
474	0.003
459	0.002
460	0.095
461	0.042
456	0.105
457	0.002
372	0.063
430	0.030
432	0.042
428	0.010
429	0.052
427/2	0.031
425	0.030
433	0.065
427/1	0.042
423	0.031
426	0.031
424	0.032
422/4	0.116
384/3	0.025
378/2	0.002
373	0.028
377/1	0.010
377/2	0.045
376/2	0.036
375/3	0.045

(1)	(2)
375/2	0.044
221	0.052
219	0.002
220	0.052
480	0.045
222/2	0.050
216	0.085
211/1	0.019
206/2	0.021
210	0.021
207	0.050
197	0.095
181	0.015
179	0.025
178	0.052
120	0.021
119	0.005
121	0.005
92/1	0.094
93/1	0.025
94/1	0.003
118	0.005
217	0.002
211/2	0.018
211/3	0.018
211/4	0.018
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	4.782

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण रीवा शाखा के उपशाखा सोनौरा नं. 2 माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 234-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—अमरपाटन

(ग) नगर/ग्राम—उमराही मथुरियान

(घ) क्षेत्रफल—0.996 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
10	0.021
11	0.002
9	0.125
8	0.008
7/1	0.218
6	0.010
40	0.010
42	0.008
41	0.109
7/2	0.142
5	0.222
2	0.121
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	0.996

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण रीवा शाखा के उपशाखा सोनौरा नं. 2 माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 जून 2016

क्र. 4923-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—मोहखेड़

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-भांडखापा, ब.नं. 429, प.ह.नं. 58 रा.नि.मं.-इकलबिहरी

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.769 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
377/2	0.080
372/1	0.500
379/1	0.085
376/1	0.137
375	0.196
374/1	0.202
373/2	0.003
373/1	0.005
374/2	0.210
320/4	0.005
381/2	0.050
384/3	0.415
384/1	0.006
382/1	0.200
319/3	0.079
381/4	0.129
381/5	0.052
316/17	0.180
316/16	0.160
381/3	0.075
योग . .	02.769 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4924-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-उमरहर, ब.नं. 56, प.ह.नं.-36 रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा-1.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 10.966 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
303/1	0.245
302/1	0.048
297	0.240
307	0.145
309	0.010
298	0.035
284	0.192
285/3	0.120
285/1	0.250
280/6	0.080
286/3	0.050
285/2	0.005
280/5	0.100
280/4	0.080

(1)	(2)	(1)	(2)
280/3	0.144	427/2	0.195
280/1	0.118	447	0.165
279/1-2	0.150	448/1	0.070
277	0.070	448/2	0.070
247	0.200	450/1	0.086
245/2	0.200	601/3	0.243
248	0.100	450/3	0.070
244/1	0.288	602/2	0.142
244/2	0.270	601/4	0.008
243	0.155	601/1	0.115
225	0.200	602/1	0.190
223	0.100	601/2	0.160
206/1	0.010	599/2	0.185
207/1	0.256	599/7	0.070
203/2	0.030	599/8	0.122
202	0.050	599/5	0.192
206/2-3	0.220	599/4	0.140
205/1	0.080	579/3	0.100
205/2	0.070	579/1	0.050
204/1	0.050	578/5	0.098
199/1, 199/3	0.005	578/10	0.048
204/2	0.060	450/2	0.010
194	0.005	578/6	0.076
195	0.004	578/4	0.139
192/3	0.002	578/7	0.135
192/1-2	0.280	567/4	0.076
402	0.003	567/5	0.070
401/2	0.176	567/2	0.050
400	0.100	567/3	0.004
399	0.141	567/7	0.010
387	0.150	568/2, 568/1	0.182
388	0.234	564	0.046
389	0.004	569	0.017
374	0.010	563	0.300
372	0.100	562	0.200
362	0.062	561/2	0.025
424/3	0.256	554/2	0.010
370/1	0.060	561/4	0.025
371/1	0.100	302/2	0.248
365	0.040	560	0.180
430/2	0.005	योग . .	10.966 हेक्टेयर एवं
424/4	0.054		प्रस्तावित क्षेत्रफल
428	0.240		पर आने वाली
427/1	0.192		संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया सकता है.

क्र. 4925-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-मदनपुर, ब.नं. 499, प.ह.नं.-71 रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा-1.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.260 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
307	0.260
योग . .	0.260 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4926-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-जटामा, ब.नं. 184, प.ह.नं.-73 रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा-1.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 03.516 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
276/1	0.204
267/3	0.230
289/4	0.056

(1)	(2)
328/1	01.104
329/1	0.152
328/2	0.010
327/1	0.008
344/1	0.150
344/2	0.150
216	0.300
217	0.057
215	0.326
219/7	0.005
220/4	0.137
220/11	0.367
220/3	0.260
योग . .	03.516 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4927-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सांख, ब.नं. 544, प.ह.नं.-73 रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा-1.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 06.261 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
722/1	0.102
722/3	0.200
722/2	0.096
744/1	0.340
745/2	0.396
736/1	0.130
735	0.110
734	0.190
733/2	0.405
733/3	0.240
326/2	0.354
325	0.350
326/1	0.040
317/4	0.114
317/1	0.192
317/3	0.356
317/2	0.030
316/1	0.234
315/3	0.282
313/15	0.090
313/10	0.075
313/20	0.090
313/1	0.079
313/16	0.090
213/19	0.132
313/6	0.290
313/5	0.070
313/4	0.080

(1)	(2)
313/3	0.080
282/2	0.100
281/1	0.180
280/6	0.040
277	0.036
274	0.280
276/1	0.090
276/2	0.080
275/1	0.140
275/2	0.050
268/2	0.028
योग . .	06.261 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4928-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-उभेगांव, ब.नं. 19, प.ह.नं.-74 रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा-1.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 11.783 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
3	0.840
4/1	0.008
10/2	0.175
10/1	0.140
15/1	0.218
14/1	0.228
13	0.164
38/1	0.061
35	0.297
34/1	0.005
34/2	0.005
34/4	0.015
78/1	0.418
76/1	0.088
76/2	0.160
75/1	0.155
75/2	0.072
67	0.137
68	0.028
69	0.060
104/1	0.068
104/2	0.144
105/2, 105/1	0.064
101/1	0.192
110/1	0.020
100/1-2	0.120
110/2	0.060
110/3	0.064
110/4	0.072
144/6	0.170

(1)	(2)
144/7	0.212
144/5	0.285
144/9	0.190
147/1, 146/3	0.162
145/8, 147/3	0.174
155/2, 155/4, 155/8	0.110
155/1, 155/5	0.110
157/2, 156/3	0.276
153	0.032
248	0.080
145/7	0.025
251, 250, 252	1.130
253/4, 253/5	0.102
254, 253/1	0.450
255/2, 256/1	0.200
257/2	0.160
318	0.020
319	0.112
321/2	0.072
321/1, 322/1	0.020
321/4	0.088
259/3, 322/4	0.250
310	0.180
316/1	0.150
317	0.120
322/2, 335/2, 336/1	0.184
323/2	0.020
332/1, 335/1, 322/3	0.214
333/3, 334/4	0.010
336/4	0.040
339	0.104
340/7	0.080
340/1	0.080
341/5	0.192
341/8	0.025
349/2	0.145
354/2, 355/2, 356/2	0.072
370/8	0.274
413/2	0.084
424/2	0.389
460/1	0.330
459/1	0.170
452/5	0.020
458/1	0.120
457/1	0.032
457/2	0.240
योग . .	11.783 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4929-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-जैतपुर, ब.नं. 204, प.ह.नं.-71 रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा-1.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.790 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
276	0.310
275	0.480
योग . .	0.790 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 जून 2016

क्र. 5004-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(ग) नगर/ग्राम-परसगांव सर्रा, ब.नं.-161/268, प.ह.नं.-32 रा.नि.मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—02.663 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
81/3	0.260
82/1, 82/2	0.233
86/1	0.088
88/3, 81/2, 93/4	0.136
88/2, 89/1, 93/3, 94/3	0.138
93/6	0.152
93/8-9	0.168
94/1	0.005
96/2	0.108
96/1	0.090
101, 103/1	0.144
102/5	0.010
102/4, 102/2	0.030
86/2	0.088
102/1	0.050
103/2	0.052
222/1	0.075
222/4	0.012
109/11, 109/4	0.175
93/13	0.028
109/5	0.176
109/7	0.100
319/1	0.100
319/2	0.080
319/3, 319/6	0.050

(1)	(2)
321/1	0.070
321/2	0.045
योग . .	02.663 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, सिंगना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 5-अ-82-भू-अर्जन-2014-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—बिजावर
(ग) ग्राम—धर्मपुरा
(घ) क्षेत्रफल निजी भूमि—50.428 हे.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
30	0.709
113	0.150
115	1.019
220	0.020
221	0.158
222	0.247
399	0.004
400/1	0.319
401	0.497
407	0.170
408	0.097
409	0.129
410	0.166
413	0.004
416	0.142
417	0.162
418	0.749
419	0.004
420	0.251
421	0.470
422/1	0.313
424	0.510
425	0.421
426	0.012
427	0.089
428	0.186

(1)	(2)	(1)	(2)
429	0.219	51/1	0.103
430	0.137	51/2	0.103
431	0.137	51/3	0.102
433	0.227	83/1	0.433
434	0.287	84/1	0.344
435	0.235	92/2	1.416
436	0.008	102/1/ख	1.416
437	0.263	102/3	0.162
438	0.137	128/1/1	0.110
439	0.085	137/1	0.050
440	0.243	160/5/1	0.020
441	0.162	215/1	0.100
442	0.142	219/2/1	0.317
443	0.121	219/5/1	0.055
444	0.175	219/6/1	0.408
445	0.053	219/8	0.308
446	0.008	225/1	0.161
447	0.174	226/1	0.085
448	0.162	237/1	0.118
450	0.372	239/1	0.104
451	0.332	240/1	0.138
452	0.020	241/1	0.024
453	0.523	241/2	0.025
454	0.309	319/1	0.059
455	0.024	320/1	0.007
456	0.291	353/1/1/ख	1.200
460	0.182	354/1/1/2	1.200
2199	0.183	355/1/ख	1.200
100/2	1.619	355/1/क	1.800
2/1/1	1.619	386/4	0.059
29/1	0.233	388/1/1	0.044
29/2	0.121	398/1	0.315
36/1/घ	1.809	402/1	0.523
36/1/ग	0.191	403/1	0.183

(1)	(2)	(1)	(2)
406/1	0.652	655/5/1	0.270
411/1/1	0.031	680/1	0.060
411/1/2	0.031	681/1	0.152
411/1/3	0.031	681/2	0.152
411/2	0.093	682/1	0.101
412/1/1	0.040	682/2	0.101
412/1/2	0.041	683/1	0.121
412/1/3	0.040	683/2	0.122
412/2	0.121	685/1	0.227
414/1	0.028	685/2	0.226
414/क/3	0.010	686/1	0.136
414/क/1	0.009	686/2	0.135
414/क/2	0.009	686/3	0.136
415/1	0.028	686/4	0.136
415/ख/1	0.009	687/1	0.326
415/ख/2	0.010	688/1	1.259
415/ख/3	0.009	689/1	0.041
423/1	0.073	689/2	0.041
423/2	0.072	689/3	0.040
423/3	0.074	689/4	0.040
432/1/1	0.041	2195/2	0.555
432/1/2	0.040	2195/4/ख	0.304
432/1/3	0.040	2195/4/क	0.303
457/1	0.633	2198/2	0.012
457/2	0.261	2200/1	0.162
461/2	0.036	2238/1	0.684
461/3	0.069	2272/2	1.291
653/1/1	0.809	2272/3	0.931
655/1क/1	0.300	2273/1	0.169
655/1क/2	0.300	2274/1	0.100
655/1क/4	0.300	2275/ग/2	0.031
655/2	1.040	2275/ग/3	0.031
655/3/2	0.405	2276/1	0.139
655/4/1	0.010	2277/1/1	0.088

(1)	(2)
2277/2	0.013
2285/2/1	0.209
2285/2/2	0.209
2285/2/3	0.210
2285/21	0.841
2285/22	0.360
2285/9	0.640
2287/3	1.518
2287/9/1/1	0.282
2287/9/1/2	0.274
2287/9/2	0.557
2873/2/462	0.505
102/1/क (शा.)	मकान
154/3	मकान
216/4	मकान
170/3	मकान
170/5	मकान
154/1/2	मकान
219/2	मकान
228/2	मकान
355/3	कुवॉ
143/1	मकान
147	मकान
154/1/1	मकान
163/1	मकान, कुवॉ
329/2	मकान
330/2	मकान
176/1	मकान
354/2	मकान
182/1/1	मकान
183 (शा.)	मकान
186	कुवॉ
192	मकान
193	मकान
215	मकान
229	मकान
231	मकान
233 (शा.)	मकान
234 (शा.)	मकान
235	मकान
236	मकान
264 (शा.)	मकान
316	मकान
318 (शा.)	मकान
654/2	मकान
655/2	कुआॅ, मकान
329/1	मकान
331	मकान
2195/6 (शा.)	मकान
370	कुवॉ
2229/3	मकान
2211/2 (शा.)	मकान
2197 (शा.)	मकान
2218	कुआॅ, मकान
2220	कुवॉ
2261 (शा.)	मकान
2262 (शा.)	मकान
2279	मकान
352/1/क	मकान
कुल योग . .	50,428

(2) श्यामरी बांध मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण ,भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),बिजावर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 21 जून 2016

क्र. 628-गोपनीय-2016-दो-2-1-2015 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री संजीव सुधाकर कालगांवकर, अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर	प्रभारी संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 28 जून 2016

क्र. 651-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री चन्द्रेश कुमार खरे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर	रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से श्री भूपेन्द्र कुमार निगम के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 29 जून 2016

क्र. 208-स्था. सैट-2016.—श्री शिव कुमार दुबे, सहायक ग्रेड-1 उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर को मुख्यपीठ जबलपुर में रिक्त लेखाधिकारी के पद के वेतन बैंड-2 रु. 9300—34800-ग्रेड पे रु. 4200 में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत कर पदस्थ किया जाता है, यदि वे पदोन्नत पद एवं पदस्थापना पर 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो लिखित में अपनी सहमति प्रस्तुत करेंगे कि वे पदोन्नति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है ऐसी स्थिति में उनकी पदोन्नति प्रकरण पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा.

क्र. 206-स्था. सैट-2016.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इन्दौर एवं खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित निजी सहायकों को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 03 (सी) 09-14-इक्कीस-ब (एक)-2922, भोपाल, दिनांक 02 सितम्बर 2014 द्वारा उन्नयित पद निजी सचिव के वेतन बैण्ड-3 रु. 9,300—34800-ग्रेड पे रु. 4200 में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाता है एवं उन्हें कालम नम्बर 3 में दर्शित स्थान पर उपलब्ध करते हुये निर्देशित किया जाता है कि, यदि वे पदोन्नत पद एवं पदस्थापना पर 15 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो लिखित में अपनी सहमति प्रस्तुत करेंगे कि कि वे पदोन्नति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं, ऐसी स्थिति

में उनकी पदोन्नति प्रकरण पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा:—

सारणी

क्रमांक	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति पर पदस्थापना	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री डी. सी. शर्मा, निजी सहायक खण्डपीठ, ग्वालियर.	खण्डपीठ, ग्वालियर	उन्नयित निजी सचिव के पद पर.
2.	श्रीमती वलसला वासुदेवन, निजी सहायक खण्डपीठ, ग्वालियर.	खण्डपीठ, ग्वालियर	उन्नयित निजी सचिव के पद पर.
3.	श्रीमती मोनी राजू निजी सहायक खण्डपीठ, इंदौर.	खण्डपीठ, इंदौर	उन्नयित निजी सचिव के पद पर.
4.	श्रीमती रश्मि प्रशान्त, निजी सहायक खण्डपीठ, इंदौर.	खण्डपीठ, इंदौर	उन्नयित निजी सचिव के पद पर.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 23 जून 2016

क्र. D-2197-दो-2-30-2016.—श्री दिलीप कुमार मिश्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 4 से दिनांक 30 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सत्ताईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 जुलाई 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप कुमार मिश्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिलीप कुमार मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 24 जून 2016

क्र. B-3216-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 30 मई से 10 जून 2016 तक बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 11 से 18 जून 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 मई 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 25 जून 2016

क्र. B-3212-दो-2-13-2008.—श्री मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 06 से 10 जून 2016 तक पांच दिन का पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त किया जाता है.
2. दिनांक 06 से 17 जून 2016 तक बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्

में दिनांक 18 एवं 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-3214-दो-2-44-2009.—श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 4 से दिनांक 8 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 जुलाई 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 एवं 10 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 27 जून 2016

क्र. C-2623-दो-2-109-2006.—श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को दिनांक 23 से दिनांक 26 मई 2016 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. पाटीदार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2625-दो-3-43-2013.—श्रीमती मीना सिंह, जिला सत्र एवं न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 30 मई 2016 से दिनांक 4 जून 2016 तक छः दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 5 से दिनांक 8 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता हैं.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनाक 23 जून 2016

क्र. 638-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, अनूपपुर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, दिनांक 04 जुलाई, 2016 से 30 जुलाई, 2016 तक की अवधि के लिये, पदस्थ करता है. उक्त पदस्थापना, वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर श्री दिलीप कुमार मिश्र के उक्त अवधि में अवकाश पर रहने के कारण की जा रही है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री अजय प्रकाश मिश्र को अनूपपुर सत्र न्यायालय में दिनांक 04 जुलाई, 2016 से 30 जुलाई, 2016 तक की अवधि के लिये, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी के अवकाश से लौटने पर श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

जबलपुर, दिनांक 25 जून 2016

क्र. 646-गोपनीय-2016-II-2-33-57-(Pt. 12).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय को उनके द्वारा

कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (5) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री आदर्श कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल.	शहडोल	छतरपुर	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर की हैसियत से दिनांक 01 जुलाई 2016 से होने वाले रिक्त पद पर. श्री आदर्श कुमार जैन वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

टिप्पणी:—श्री आर्दश कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.

क्र. 648-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016-(भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 26 अक्टूबर 95 अधिसूचना क्रमांक फा. 1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19 फरवरी 97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7 मई 99, क्रमांक फा. 1-2-90/21-ब (एक), दिनांक 4 मई 2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.1-2-90-इक्कीस-ब(एक) 1511/2016, दिनांक 16 मई 2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय /अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री ह्रदेश	बैतूल	छतरपुर	छतरपुर	पीठासीन अधिकारी, अनन्य विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त स्थान पर.	छतरपुर
2	श्री गोपाल श्रीवास्तव	रीवा	सतना	सतना	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त स्थान पर.	सतना
3	श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया	मुरैना	सीहोर	सीहोर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त स्थान पर.	सीहोर
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त	सिरौंज	विदिशा	विदिशा	पीठासीन अधिकारी, अनन्य विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त स्थान पर.	विदिशा
5	श्री प्रेम कुमार सिन्हा	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त स्थान पर.	नरसिंहपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	डॉ. सुभाष कुमार जैन	दमोह	टीकमगढ़	टीकमगढ़	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री जयराम सिंह कटारिया के स्थान पर.	टीकमगढ़
2	श्री अनिल कुमार मोहनिया	गाडरवारा	बैतूल	बैतूल	पीठासीन अधिकारी, अनन्य विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री हृदेश के स्थान पर.	बैतूल

टिप्पणी:—श्री हृदेश विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण), अधिनियम, बैतूल का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया हैं.

जबलपुर, दिनांक 28 जून 2016

क्र. 656-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2, सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री हृदेश	बैतूल	बैतूल	बैतूल	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी:—आदेश क्रमांक 648/गोपनीय/2016, दिनांक 25 जून, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री हृदेश, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण), अधिनियम, बैतूल का, बैतूल से छतरपुर स्थानांतरण, उनके आवेदन दिनांक 27 जून 2016 में वर्णित अपरिहार्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 29 जून 2016

क्र. 659-गोपनीय-2016-II-2-33-57-(Pt. 12).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2/4-03-2002, 14-01-2005, 04-11-2009, 20-05-2011 एवं 30-07-2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक I-1/2002/21-ब (एक)/2364, दिनांक 28 जून, 2016 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (5) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री भरतसिंह जामरा, सोलहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर.	इंदौर	शहडोल	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल की हैसियत से श्री आदर्श कुमार जैन के स्थान पर. श्री भरत सिंह जामरा वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, उमरिया एवं अनूपपुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 12 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, उमरिया में एवं 5 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, अनूपपुर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
2	श्री जयराम सिंह कटारिया, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, टीकमगढ़.	टीकमगढ़	मण्डलेश्वर	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डलेश्वर की हैसियत से दिनांक 01-07-2016 को रिक्त होने वाले पद पर. श्री जयराम सिंह कटारिया वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, बड़वानी का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 20 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, बड़वानी में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
3	श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.	छतरपुर	जबलपुर	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर की हैसियत से दिनांक 01-07-2016 को रिक्त होने वाले पद पर.

टिप्पणी:—उपरोक्त सेवानिवृत्त होने जा रहे न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

शुद्धि-पत्र

जबलपुर, दिनांक 25 जून 2016

क्र.तीन-6-6-84.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर एतद्द्वारा अपने अधिसूचना क्रमांक बी-1660, दिनांक 10 अप्रैल 2016 में निम्नलिखित शुद्धि-पत्र जारी करता है:—

''उक्त अधिसूचना में 'श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (सीनियर)' के स्थान पर 'श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर)' पढ़ा जावें.''.

Corrigendum

The High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby issues following Corrigendum in respect of its Notification No. B/1660 dated 10 April 2016:—

"In the said Notification the words "Shri Rajendra Kumar Sharma (Sr.)'' in place of "Shri Rajendra Prasad Sharma (Sr.)'' be read''.

VIVEK SAXENA, OSD (DE).

जबलपुर, दिनांक 27 जून 2016

क्र. C-2631-तीन-6-2-2016.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260(1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक 2 में वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक 3 में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्त: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:—

सारणी

क्र.	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	पदस्थापना का स्थान	राजस्व जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री नितिन कुमार मुजालदा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	हटा	दमोह
2	श्रीमती सरोज बाला मुजालदा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	हटा	दमोह

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	सारंगपुर	राजगढ़
4	श्री अश्विन परमार, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	सारंगपुर	राजगढ़
5	कु. वर्षा सूर्यवंशी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	नरसिंहगढ़	राजगढ़
6	श्री चंद्रशेखर राठौर, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	ब्यावरा	राजगढ़
7	श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	राजगढ़	राजगढ़
8	श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मुरैना	मुरैना
9	सुश्री पुनिता चौहान, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मुरैना	मुरैना
10	श्री राजेन्द्र सिंह शाक्य, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मुरैना	मुरैना
11	श्री गौरव अग्रवाल, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	उज्जैन	उज्जैन
12	श्रीमती दिव्या सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	बालाघाट	बालाघाट
13	श्री अजय कुमार यदु, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	ग्वालियर	ग्वालियर
14	श्रीमती सविता ठाकुर, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर

Jabalpur, dated 28th June 2016

No. A-2323-III-6-5-14.—The Additional Sessions Judges specified in Column No. 2 of the following table, who were designated by the High Court of Madhya Pradesh for trial of offences relating to VYAPAM scam matters and other matters linked thereto, investigated by Central Bureau of Investigation or any other agency for the area specified in the Column No. 3 of the table, in exercise of the powers conferred under sub-section 3 of Section 9 of Criminal Procedure Code 1973 and all other enabling provisions, are hereby discharged from the said designation. Consequently, the Court of the following Additional Sessions Judges will not be the Courts designated for the trial of offences relating to VYAPAM Scam matters and other matters linked thereto forthwith.

S. No.	Name of the Additional Sessions Judge	Head Office (Area)
(1)	(2)	(3)
1.	Shri A. K. Sohane, XI ASJ	Gwalior
2.	Court of VI ASJ (Presently vacant)	Gwalior
3.	Shri Arun Kumar Verma, VI ASJ	Bhopal
4.	Smt. Anuradha Shukla, XVI ASJ	Bhopal

क्र. बी-3313-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 3 में वर्णित न्यायिक अधिकारीगण अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक 2 में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक 4 में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-3313-III-10-42/75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judicial Officers named in the column no. 3 of the following table shall also hold sitting at places

mentioned in the column no. 2 of the table in addition to his place of sitting for the period mentioned in the column no. 4 for holding Link Court.

Civil Judge Class 2 Cadre

S. No.	Places, where Link Court is to be held	Name of the Officer and designation	No. of days/Weeks in a month for the Link Court
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sidhi-Rampur Naikin	Shri Rajendra Kumar Ahirwar, IAJ to I CJ-II, Sidhi.	7 days
2.	Neemuch-Rampura	Shri Amool Mandloi, ICJ-II, Neemuch.	7 days
3.	Khandwa-Punasa	Shri Arif Khan Patel, IIAJ to I CJ-II, Khandwa	2 Weeks

No. C-2662-III-10-42/75.—The High Court of Madhya Pradesh hereby de-notifies the Satna-Chitrakoot Link Court of Civil Judge Class-II cadre, notified in exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958, with immediate effect.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.).